

संख्या:- 823/78-2-2026-ई-1052026

प्रेषक,

आलोक कुमार ,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव /सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उद्योग संघ, उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक:08-10-2026

विषय: "उत्तर प्रदेश डाटासेन्टर नीति- 2026" के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय / महोदया ,

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-536/ 78-2-2026/ई-1052026 दिनांक 09 जुलाई,2026 द्वारा "उत्तर प्रदेश डाटासेन्टर नीति- 2026"अधिसूचित की गई है। उक्त नीति निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।

1- परिचय

- 1.1 इस शासनादेश को उत्तर प्रदेश डाटासेन्टर नीति- 2026 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश के नाम से जाना जायेगा।
- 1.2 उत्तर प्रदेश डाटासेन्टर नीति-2026 इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा राज्य सरकार द्वारा इसमें संशोधन या निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगी।

2- उद्देश्य

"उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति- 2026" का उद्देश्य सतत डिजिटल अवसंरचना , नवाचार और वैश्विक कनेक्टिविटी को सक्षम बनाकर उत्तर प्रदेश को एक हरित, एआई-रेडी, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित किया जाना है। इसके लक्ष्यों में 2 गीगावाट से अधिक की अतिरिक्त डाटासेन्टर क्षमता विकसित किया जाना, 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना, टियर III/IV तथा ग्रीन-प्रमाणित सुविधाएं स्थापित किया जाना, 2030 तक नए डाटासेन्टर में 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और एआई, एचपीसी और डीप-टेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देना सम्मिलित हैं।

3- परिभाषाएं

उत्तर प्रदेश डाटासेन्टर नीति- 2026 के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रमुख परिभाषाएँ नीति की धारा 5 और 6 में "डाटासेन्टर इकाई वर्गीकरण" और "महत्वपूर्ण परिभाषाएँ" शीर्षक के अंतर्गत उल्लिखित हैं।

4- वित्तीय प्रोत्साहन

4.1 डाटासेन्टर पार्क

4.1.1 ब्याज उपादान

ब्याज उपादान नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.1 के अनुसार लागू होगा । इस उपादान में परिभाषित ब्याज उपादान की वार्षिक और समग्र सीमा उपधारा 7.1.7 (एआई कंप्यूट बूस्टर प्रोत्साहन) और 7.1.8 (हरित एवं सतत संचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन) में परिभाषित प्रावधानों के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई आवेदक उपधारा 7.1.7 और 7.1.8, दोनों की शर्तों को पूरा करता है , तो वह संचयी लाभों की प्राप्ति के लिए पात्र होगा , जिससे नीति की उपधारा 7.1.1 में परिभाषित सीमा से अधिक ब्याज उपादान की सीमा में अधिकतम सम्भव वृद्धि हो सकेगी।

उदाहरणार्थ, यदि कोई आवेदक नीति की उपधारा 7.1.1 के अनुसार निर्धारित कुल आधार सीमा 50 करोड़ रुपये तक ब्याज उपादान के लिए पात्र है और वह एआई कंप्यूट बूस्टर (उपधारा 7.1.7) अथवा हरित एवं सतत संचालन (उपधारा 7.1.8) के सभी मानदंडों की पूर्ति करता है , तो कुल आधार सीमा को अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है , जिससे इस उपादान की कुल सीमा 60 करोड़ रुपये हो जाएगी। यदि कोई आवेदक एआई कंप्यूट बूस्टर और हरित एवं सतत संचालन बूस्टर दोनों मानदंडों की पूर्ति करता है, तो कुल आधार सीमा को अधिकतम 10 करोड़ रुपये + 10 करोड़ रुपये = 20 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे इस उपादान की कुल सीमा 70 करोड़ रुपये हो जाएगी।

4.1.2 दोहरी ग्रिड विद्युत उपादान

दोहरी ग्रिड विद्युत उपादान नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.2 के अनुसार लागू होगा । आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए ऊर्जा विभाग द्वारा एक पृथक शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

4.1.3 भूमि उपादान

भूमि उपादान नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.3 के अनुसार लागू होगा । प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपदों की सूची नीति की धारा 12 में दी गई है।

4.1.4 स्टाम्प शुल्क से छूट

स्टाम्प शुल्क छूट नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.4 के अनुसार लागू होगी । यह उत्तर प्रदेश शासन के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्गत, प्रभावी अधिसूचना/ शासनादेश के अनुसार होगी। इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

- i. निवेशक को स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक/उपायुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। महाप्रबंधक/ उपायुक्त, डीआईसी द्वारा सत्यापन उपरान्त तथा जिलाधिकारी के अनुमोदन से, महाप्रबंधक/ उपायुक्त, डीआईसी इस बात को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि हस्तांतरण विलेख, नीति के तहत

निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निष्पादित किया जा रहा है। (अनुलग्नक संख्या-1)

- ii. ऐसे हस्तांतरण विलेख/पट्टा विलेख के निबन्धन के समय, निवेशक द्वारा महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश को स्टाम्प शुल्क में प्रदान की जा रही छूट की राशि के समतुल्य बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। यह बैंक गारंटी निबन्धन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- iii. निवेशक द्वारा वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करने के पश्चात और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0/ नोडल एजेंसी द्वारा इस बात की पुष्टि किए जाने पर कि संबंधित इकाई ने नीति के तहत निर्धारित शर्तों का विधिवत अनुपालन किया है, स्टाम्प और निबन्धन विभाग द्वारा बैंक गारंटी अवमुक्त तथा डिस्चार्ज की जायेगी। (अनुलग्नक संख्या-2)

4.1.5 ट्रांसमिशन एण्ड व्हीलिंग चार्जस छूट

ट्रांसमिशन एण्ड व्हीलिंग चार्जस छूट नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.5 के अनुसार लागू होगी। यह उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अधिसूचित लागू विनियमों के अनुरूप होगी।

4.1.6 टियर/रेटिंग III तथा IV प्रोत्साहन बूस्टर

टियर/रेटिंग III तथा IV प्रोत्साहन बूस्टर नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.6 के अनुसार लागू होगा। (अनुलग्नक संख्या-3)

7. मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणालियाँ

इस प्रोत्साहन के प्रयोजन हेतु, आवेदक को मान्यता प्राप्त और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डाटासेन्टर प्रमाणन निकाय से डाटा सेन्टर सुविधा के लिए वैध टियर III/IV, अथवा रेटिंग 3/4 प्रमाण प्राप्त किया जाना होगा।

मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियों/प्रणालियों में निम्नलिखित सम्मिलित, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- अपटाइम इंस्टीट्यूट
- टीआईए-942 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम
- सशक्त समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित और अधिसूचित कोई भी अन्य राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डाटा सेंटर मानक, रेटिंग सिस्टम, प्रमाणन एजेंसियां या मान्यता प्रदाता निकाय।

7. पात्र व्यय

पात्र व्यय में आवेदक द्वारा किए गए प्रमाणन संबंधी वास्तविक शुल्क भुगतान, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रमाणन आवेदन शुल्क;
- प्रमाणन जारी करने/नवीनीकरण/ उन्नयन का शुल्क;

7. एकाधिक प्रमाणन से संबंधित निर्धारण

यदि कोई सुविधा एक से अधिक पात्र प्रमाणन प्रणालियों के तहत प्रमाणन

प्राप्त करती है, तो प्रतिपूर्ति केवल एक पात्र प्रणाली के प्रमाणन व्ययों तक ही सीमित रहेगी।

4.1.7 ए.आई. कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन

ए.आई. कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.7 के अनुसार लागू होगा। (अनुलग्नक संख्या-4)

एआई कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन केवल संबंधित आधारभूत प्रोत्साहन प्रावधान के अंतर्गत लागू उपादान सीमा में वृद्धि के रूप में कार्य करेगा और इसे पृथक अथवा एकमुश्त उपादान के रूप में नहीं माना जाएगा। आवेदक, अनुमोदित डाटासेन्टर पार्क के भीतर निर्धारित न्यूनतम एआई कम्प्यूट यूनिटों की खरीद, स्थापना, विद्युतीकरण और संचालन पूर्ण होने पर ही इस वृद्धि के लिए इस प्रतिबन्ध सहित पात्र होगा कि नोडल संस्था/सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाए।

यदि आवेदक उपादान वितरण प्रारंभ होने के पश्चात एआई कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन हेतु पात्रता प्राप्त करता है, तो प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि से लागू वृद्धि का लाभ भावी प्रभाव से उपलब्ध होगा। यह लाभ नीति में निर्धारित वार्षिक सीमा तथा मूल उपादान अवधि की अवशिष्ट अवधि के अधीन होगा। किसी भी प्रकार के बकाया दावे, पूर्वव्यापी समायोजन अथवा उपादान अवधि के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

4.1.8 ग्रीन एवं सस्टेनेबुल परिचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन

ग्रीन एवं सस्टेनेबुल परिचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.8 के अनुसार लागू होगा। (अनुलग्नक संख्या-5)

इस प्रोत्साहन के लिए पात्रता प्रमाण पत्र का तात्पर्य है वैध ग्रीन डाटा सेंटर प्रमाण अथवा डाटा सेंटर के लिए लागू समकक्ष सस्टेनेबिलिटी प्रमाण पत्र, जो IGBC ग्रीन डाटासेन्टर रेटिंग सिस्टम, GRIHA, EDGE (IFC द्वारा), LEED डाटासेन्टर, ग्रीन बिल्डिंग इंडेक्स डाटासेन्टर रेटिंग सिस्टम, BREEAM, BCA-IMDA ग्रीन मार्क फॉर डाटासेन्टर, NABERS फॉर डाटा सेंटर, CEEDA अथवा सशक्त समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित और अधिसूचित किसी अन्य समकक्ष प्रमाणन/रेटिंग सिस्टम से प्राप्त किया गया हो। सशक्त समिति द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित और अधिसूचित किए जाने तक पूर्व-प्रमाणीकरण, अनन्तिम प्रमाणन, पंजीकरण, स्व-प्रमाणीकरण, सामान्य आईएसओ प्रमाणन या स्टैंडअलोन ऊर्जा ऑडिट मान्य नहीं होंगे।

ग्रीन एवं सस्टेनेबुल परिचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन, नीति के संबंधित आधारभूत प्रोत्साहन प्रावधान के तहत लागू उपादान सीमा में वृद्धि के रूप में ही कार्य करेगा और इसे पृथक अथवा एकमुश्त उपादान के रूप में नहीं माना जाएगा। आवेदक को पहले ग्रीन डाटासेन्टर प्रमाणन की अर्हता पूरी करनी होगी; ऐसा न करने पर पीयूई या नवीकरणीय ऊर्जा मानदंडों के तहत कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा। प्रमाणन, पीयूई और नवीकरणीय ऊर्जा मानदंडों के तहत लाभ संचयी होंगे; यद्यपि, पीयूई के तहत केवल एक सत्यापित स्लैब और

नवीकरणीय ऊर्जा के तहत केवल एक सत्यापित स्लैब पर ही विचार किया जाएगा।

अधिकतम कुल सीमा-वृद्धि तभी स्वीकार्य होगी जब आवेदक प्रथम पात्र दावा वर्ष से ही लागू पात्रता शर्तों की पूर्ति करता हो। यदि आवेदक उपादान संवितरण प्रारम्भ होने के बाद पात्र होता है, तो अनुमन्य कुल सीमा वृद्धि की गणना शेष पात्र उपादान वर्षों के आधार पर की जाएगी। बकाया राशि, पूर्वव्यापी समायोजन, विगत संवितरण के मामलों को पुनः खोलने, अथवा मूल उपादान अवधि के विस्तार, पुनरुद्धार अथवा पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि आवेदक पीयूई अथवा नवीकरणीय ऊर्जा मानदंडों के अंतर्गत निम्न पात्रता स्तर से उच्च पात्रता स्तर पर जाता है, तो केवल अंतर सीमा वृद्धि को संज्ञान में लिया जाएगा। यह अंतर वृद्धि उच्च स्तर की स्वीकृति की तिथि से आगामी अवधि हेतु लागू होगी तथा शेष पात्र उपादान वर्षों के लिए अनुमन्य होगी।

4.2 डाटासेन्टर यूनिट तथा एज डाटासेन्टर

4.2.1 पूंजी उपादान

पूंजी उपादान नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.2.1 के अनुसार लागू होगा। इस उपादान में परिभाषित वार्षिक और समग्र सीमा, उपधारा 7.2.7 (एआई कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन) (जो डाटा सेन्टर यूनिट और एज डाटा सेंटर दोनों पर लागू होती है) और उपधारा 7.2.8 (हरित एवं सतत संचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन) (जो केवल डाटा सेन्टर यूनिट पर लागू होती है) में परिभाषित प्रावधानों के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई आवेदक उपधारा 7.2.7 और 7.2.8 दोनों की शर्तों की पूर्ति करता है, तो वह संचयी लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा, जिससे नीति की उपधारा 7.2.1 में परिभाषित सीमा से अधिक पूंजी उपादान सीमा में अधिकतम सम्भव वृद्धि हो सकेगी।

उदाहरणार्थ, यदि कोई आवेदक नीति की उपधारा 7.2.1 के अनुसार निर्धारित कुल आधार सीमा 20 करोड़ रुपये तक पूंजीगत उपादान का लाभ पाने के लिए पात्र है और वह एआई कम्प्यूट बूस्टर (उपधारा 7.2.7) अथवा हरित एवं सतत संचालन (उपधारा 7.2.8) के सभी मानदंडों की पूर्ति करता है, तो कुल आधार सीमा को अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे इस उपादान की कुल सीमा 25 करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये + 5 करोड़ रुपये) हो जाएगी। यदि कोई आवेदक एआई कम्प्यूट बूस्टर और हरित एवं सतत संचालन बूस्टर दोनों मानदंडों की पूर्ति करता है, तो कुल आधार सीमा को अधिकतम 5 करोड़ रुपये + 5 करोड़ रुपये = 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे इस उपादान की कुल सीमा 30 करोड़ रुपये (20 करोड़ रुपये + 10 करोड़ रुपये) हो जाएगी।

4.2.2 विद्युत शुल्क छूट

विद्युत शुल्क छूट नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.2.2 के अनुसार लागू

होगी। आवेदन प्रस्तुति की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए ऊर्जा विभाग द्वारा एक पृथक शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

4.2.3 भूमि उपादान

भूमि उपादान नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.3 के अनुसार लागू होगा। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपदों की सूची नीति की धारा 12 में दी गई है।

4.2.4 स्टाम्प शुल्क से छूट

स्टाम्प शुल्क छूट नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.4 के अनुसार लागू होगी। यह उत्तर प्रदेश शासन के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा निर्गत, प्रभावी अधिसूचना/ शासनादेश के अनुसार होगी। इस प्रयोजन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

- i. निवेशक को स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक/उपायुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। महाप्रबंधक/ उपायुक्त, डीआईसी द्वारा सत्यापन उपरान्त तथा जिलाधिकारी के अनुमोदन से, महाप्रबंधक/ उपायुक्त, डीआईसी इस बात को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि हस्तांतरण विलेख, नीति के तहत निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निष्पादित किया जा रहा है। (अनुलग्नक संख्या-1)
- ii. ऐसे हस्तांतरण विलेख/पट्टा विलेख के निबन्धन के समय, निवेशक द्वारा महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश को स्टाम्प शुल्क में प्रदान की जा रही छूट की राशि के समतुल्य बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। यह बैंक गारंटी निबन्धन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- iii. निवेशक द्वारा वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करने के पश्चात और सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, 30 प्र0/ नोडल एजेन्सी द्वारा इस बात की पुष्टि किए जाने पर कि संबंधित इकाई ने नीति के तहत निर्धारित शर्तों का विधिवत अनुपालन किया है, स्टाम्प और निबन्धन विभाग द्वारा बैंक गारंटी अवमुक्त तथा डिस्चार्ज की जायेगी। (अनुलग्नक संख्या-2)

4.2.5 ट्रांसमिशन एण्ड व्हीलिंग चार्ज से छूट

ट्रांसमिशन एण्ड व्हीलिंग चार्ज से छूट नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.5 के अनुसार लागू होगी। यह उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अधिसूचित लागू विनियमों के अनुरूप होगी।

4.2.6 टियर/रेटिंग III तथा IV प्रोत्साहन बूस्टर

टियर/रेटिंग III तथा IV प्रोत्साहन बूस्टर नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.1.6 के अनुसार लागू होगा। (अनुलग्नक संख्या- 3)

7. मान्यता प्राप्त प्रमाणन प्रणालियाँ

इस प्रोत्साहन के प्रयोजन हेतु, आवेदक को मान्यता प्राप्त और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डाटासेन्टर प्रमाणन निकाय से डाटा सेन्टर सुविधा के लिए वैध टियर III/IV, अथवा रेटिंग 3/4 प्रमाण प्राप्त किया जाना होगा।

मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियों/प्रणालियों में निम्नलिखित सम्मिलित ,
किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- अपटाइम इंस्टीट्यूट
- टीआईए-942 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम
- सशक्त समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित और अधिसूचित कोई भी अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डाटा सेंटर मानक, रेटिंग सिस्टम, प्रमाणन एजेंसियां या मान्यता प्रदाता निकाय।

7. पात्र व्यय

पात्र व्यय में आवेदक द्वारा किए गए प्रमाणन संबंधी वास्तविक शुल्क भुगतान, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- प्रमाणन आवेदन शुल्क;
- प्रमाणन जारी करने/नवीनीकरण/ उन्नयन का शुल्क;

7. एकाधिक प्रमाणन से संबंधित निर्धारण

यदि कोई सुविधा एक से अधिक पात्र प्रमाणन प्रणालियों के तहत प्रमाणन प्राप्त करती है, तो प्रतिपूर्ति केवल एक पात्र प्रणाली के प्रमाणन व्ययों तक ही सीमित रहेगी।

किसी एज डाटा सेंटर प्रस्ताव को टियर/रेटिंग III अथवा IV बूस्टर प्रोत्साहन हेतु तभी पात्र माना जाएगा, जब स्वीकृत प्रस्ताव का हिस्सा बनने वाली कम से कम दस घटक डाटा सेंटर इकाइयाँ (Constituent Data Center Facilities) स्वतंत्र रूप से संबंधित टियर/रेटिंग III अथवा IV प्रमाणन प्राप्त करें। प्रमाणन प्रत्येक डाटा सेंटर इकाई के लिए पृथक एवं विशिष्ट होगा तथा किसी एक घटक डाटा सेंटर इकाई द्वारा प्राप्त प्रमाणन को किसी अन्य घटक डाटा सेंटर इकाई अथवा संपूर्ण एज डाटा सेंटर प्रस्ताव का प्रमाणन नहीं माना जाएगा।

4.2.7 ए.आई. कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन

ए.आई. कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.2.7 के अनुसार लागू होगा। हालाँकि, (स्पष्टता हेतु) एज डाटा सेंटर प्रस्ताव के मामले में, निर्धारित न्यूनतम संख्या में एआई कम्प्यूट यूनिट्स को अनुमोदित प्रस्ताव के अंतर्गत आने वाली कई घटक डाटा सेंटर सुविधाओं में स्थापित किया जा सकता है। (अनुलग्नक संख्या-4)

एआई कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन केवल संबंधित आधारभूत प्रोत्साहन प्रावधान के अंतर्गत लागू उपादान सीमा में वृद्धि के रूप में कार्य करेगा और इसे पृथक अथवा एकमुश्त उपादान के रूप में नहीं माना जाएगा। आवेदक, अनुमोदित डाटासेन्टर यूनिट/एज डाटासेन्टर के भीतर निर्धारित न्यूनतम एआई कम्प्यूट यूनिटों की खरीद, स्थापना, विद्युतीकरण और संचालन पूर्ण होने पर ही इस वृद्धि के लिए इस प्रतिबन्ध सहित पात्र होगा कि नोडल संस्था/सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाए।

यदि आवेदक उपादान वितरण प्रारंभ होने के पश्चात एआई कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन हेतु पात्रता प्राप्त करता है, तो प्रोत्साहन की स्वीकृति की तिथि से लागू वृद्धि का लाभ भावी प्रभाव से उपलब्ध होगा। यह लाभ नीति में निर्धारित वार्षिक सीमा तथा मूल उपादान अवधि की अवशिष्ट अवधि के अधीन होगा। किसी भी प्रकार के बकाया दावे, पूर्वव्यापी समायोजन अथवा उपादान अवधि के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

4.2.8 ग्रीन एवं सस्टेनेबल परिचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन

ग्रीन एवं सस्टेनेबल परिचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन नीति की यथापरिभाषित उपधारा 7.2.8 के अनुसार डाटा सेंटर यूनिट पर ही लागू होगा। (अनुलग्नक संख्या- 5)

इस प्रोत्साहन के लिए पात्रता प्रमाण पत्र का तात्पर्य है वैध ग्रीन डाटा सेंटर प्रमाण अथवा डाटा सेंटर के लिए लागू समकक्ष सस्टेनेबिलिटी प्रमाण पत्र, जो IGBC ग्रीन डाटासेन्टर रेटिंग सिस्टम, GRIHA, EDGE (IFC द्वारा), LEED डाटासेन्टर, ग्रीन बिल्डिंग इंडेक्स डाटासेन्टर रेटिंग सिस्टम, BREEAM, BCA-IMDA ग्रीन मार्क फॉर डाटासेन्टर, NABERS फॉर डाटा सेंटर, CEEDA, अथवा सशक्त समिति द्वारा समय-समय पर अनुमोदित और अधिसूचित किसी अन्य समकक्ष प्रमाणन/रेटिंग सिस्टम से प्राप्त किया गया हो। सशक्त समिति द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित और अधिसूचित किए जाने तक पूर्व-प्रमाणीकरण, अनन्तिम प्रमाणन, पंजीकरण, स्व-प्रमाणीकरण, सामान्य आईएसओ प्रमाणन या स्टैंडअलोन ऊर्जा ऑडिट मान्य नहीं होंगे।

ग्रीन एवं सस्टेनेबल परिचालन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन, नीति के संबंधित आधारभूत प्रोत्साहन प्रावधान के तहत लागू उपादान सीमा में वृद्धि के रूप में ही कार्य करेगा और इसे पृथक अथवा एकमुश्त उपादान के रूप में नहीं माना जाएगा। आवेदक को पहले ग्रीन डाटासेन्टर प्रमाणन की अर्हता पूरी करनी होगी; ऐसा न करने पर पीयूई या नवीकरणीय ऊर्जा मानदंडों के तहत कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा। प्रमाणन, पीयूई और नवीकरणीय ऊर्जा मानदंडों के तहत लाभ संचयी होंगे; यद्यपि, पीयूई के तहत केवल एक सत्यापित स्लैब और नवीकरणीय ऊर्जा के तहत केवल एक सत्यापित स्लैब पर ही विचार किया जाएगा।

अधिकतम कुल सीमा-वृद्धि तभी स्वीकार्य होगी जब आवेदक प्रथम पात्र दावा वर्ष से ही लागू पात्रता शर्तों की पूर्ति करता हो। यदि आवेदक उपादान संवितरण प्रारम्भ होने के बाद पात्र होता है, तो अनुमन्य कुल सीमा वृद्धि की गणना शेष पात्र उपादान वर्षों के आधार पर की जाएगी। बकाया राशि, पूर्वव्यापी समायोजन, विगत संवितरण के मामलों को पुनः खोलने, अथवा मूल उपादान अवधि के विस्तार, पुनरुद्धार अथवा पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि आवेदक पीयूई अथवा नवीकरणीय ऊर्जा मानदंडों के अंतर्गत निम्न पात्रता स्तर से उच्च पात्रता स्तर पर जाता है, तो केवल अंतर सीमा वृद्धि को

संज्ञान में लिया जाएगा। यह अंतर वृद्धि उच्च स्तर की स्वीकृति की तिथि से आगामी अवधि हेतु लागू होगी तथा शेष पात्र उपादान वर्षों के लिए अनुमन्य होगी।

4.2.9 इन्टरनेट लागत उपादान

इन्टरनेट लागत उपादान, नीति की उपधारा 7.3.1 में परिभाषित एज डाटासेन्टर्स हेतु प्रभावी होती है। इसकी प्रतिपूर्ति एज डाटा सेंटर द्वारा प्रस्तुत वास्तविक बिलों/उपयोग एवं भुगतान रसीदों के आधार पर, वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 3 वर्षों तक की जाएगी। इन्टरनेट के लिए एकमुश्त स्थापना लागत इस प्रतिपूर्ति के अंतर्गत आच्छादित नहीं है।

4.3 उत्कृष्टता का केन्द्र

नीति की उपधारा 7.4 में सन्निहित प्रावधान प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और/अथवा उद्योग संघों/ उद्योग अथवा किसी अन्य सरकारी/निजी संस्था पर लागू होता है जो डाटासेन्टर प्रौद्योगिकियों और डिजिटल अवसंरचना के अनुसंधान एवं विकास में प्रवृत्त हैं।

5- गैर वित्तीय प्रोत्साहन

5.1 नीति की धारा 8 के अनुसार गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता होंगी।

5.2 नीति की उपधारा 8.2, 8.3 एवं 8.5(i) के अंतर्गत अनुमन्य प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं कार्यविधि, इस नीति के अंतर्गत अधिसूचित संबंधित सरकारी अभिकरणों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा पृथक शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।

5.3 नीति की उपधारा 8.4 के अंतर्गत अनुमन्य प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा पृथक शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

5.4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एक पृथक शासनादेश निर्गत किया जाएगा ताकि शासकीय विभागों और उनके संस्थानों/एजेंसियों द्वारा क्लाउड स्टोरेज की सार्वजनिक खरीद में नीति के अंतर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त करने वाली इकाइयों को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर प्राथमिकता दी जा सके।

5.5 नीति की उपधारा 8.5 (iii) और 8.5 (iv) के अंतर्गत अनुमन्य प्रोत्साहनों की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए, उत्तर प्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा एक पृथक शासनादेश निर्गत किया जाएगा।

6- केस-टू-केस आधार पर विशेष पैकेज

नीति की धारा 9 में यथापरिभाषित प्रस्तावित प्रोत्साहन सशक्त समिति की संस्तुति पर मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदन से अनुमन्य होंगे।

7- गवर्नेन्स

7.1 सशक्त समिति

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति (तालिका 1 देखें) द्वारा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। समिति के दायित्व के अन्तर्गत नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना और सभी स्तरों पर निवेशकों की चिंताओं

के सामयिक समाधान के लिए अंतर-विभागीय समन्वय को सुगम बनाया जाना सम्मिलित है।

तालिका 1

क्र0 सं0	पदनाम	अध्यक्ष/ सदस्य
1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य संयोजक

7.2 नीति कार्यान्वयन इकाई

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की अध्यक्षता में गठित एक नीति कार्यान्वयन इकाई (तालिका 2 देखें) द्वारा सशक्त समिति के पर्यवेक्षण में नोडल संस्था के कार्यों की निगरानी की जाएगी। पीआईयू नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति, प्रोत्साहन राशि का संवितरण, सशक्त समिति को संस्तुतियां प्रस्तुत करना आदि सम्मिलित हैं। पीआईयू की अन्य जिम्मेदारियों में सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय, उद्योग संघों, हितधारकों, निगमों के साथ जुड़ाव, नीति का प्रचार-प्रसार आदि शामिल हैं।

तालिका 2

क्र0 सं0	पदनाम	अध्यक्ष/ सदस्य
1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य

	प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
12	विशेष सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
13	प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
14	प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड।	सदस्य संयोजक

7.3 नोडल संस्था

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के पर्यवेक्षण में इस नीति को लागू करने के लिए नोडल संस्था होगी।

7.4 नीति प्रबन्धन इकाई (PMU)

नोडल संस्था के अधीन विषय विशेषज्ञों/सलाहकारों से युक्त एक समर्पित नीति प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जाएगा। पीएमयू द्वारा नीति के कार्यान्वयन और प्रचार में नोडल संस्था को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

8- निवेश प्रस्तावों के प्रस्तुति की प्रक्रिया

इस नीति के अंतर्गत सभी आवेदकों को स्वीकृति/अनुमोदन हेतु निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक संख्या- 6) के अनुसार राज्य के एकल-खिड़की पोर्टल “निवेश मित्र” के माध्यम से ऑनलाइन निवेश प्रस्ताव रिपोर्ट (आईपीआर) जमा करनी होगी। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन, प्रस्तावित परियोजना, वित्तीय व्यवस्था और अन्य सहायक दस्तावेजों का विवरण देने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ, नोडल संस्था द्वारा निम्नलिखित क्रम में समीक्षा की जाएगी:-

(1) आवेदन और सहायक दस्तावेजों की सम्पूर्णता और प्रासंगिकता की जाँच की

जाएगी।

(2) आवेदन में किसी भी प्रकार की विसंगति या अपूर्णता की सूचना निवेशक को दी जाएगी और ऐसे मामलों में निवेशक की जिज्ञासाओं का उत्तर निवेश मित्र के माध्यम से ऑनलाइन दिया जाएगा।

(3) उपरोक्त जाँच के आधार पर नोडल संस्था द्वारा एक एजेण्डा नोट तैयार किया जाएगा।

9- निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति/अनुमोदन की प्रक्रिया (अनुलग्नक चित्र 1)

(1) नोडल संस्था के प्रबन्ध निदेशक द्वारा विचारण और संस्तुति/अनुमोदन के लिए एजेण्डा नोट नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) रुपये 200 करोड़ अथवा उससे कम के निवेश प्रस्ताव नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष समीक्षा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रस्ताव पर अनुमोदन की स्थिति में, नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत किया जायेगा। यदि प्रस्ताव अनुमोदित नहीं होता है, तो यथास्थिति की सूचना दी जाएगी।

(3) रुपये 200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को प्रथमतः नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा संस्तुति उपरान्त सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सशक्त समिति की अनुशंसा उपरान्त, ऐसे प्रस्तावों को विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) रुपये 200 करोड़ से अधिक के निवेश वाले प्रस्तावों के लिए, मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त होने पर, शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत किया जाएगा। अन्यथा, यथास्थिति की सूचना दी जाएगी।

(5) नीति कार्यान्वयन इकाई और/अथवा मा0 मंत्रि-परिषद (जैसा भी मामला हो) के अनुमोदन और आवश्यक सरकारी आदेश जारी होने के बाद, स्वीकृत लाभों और संबंधित नियमों एवं शर्तों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया जाएगा।

(6) लेटर ऑफ कम्फर्ट की प्रतियां नीति की उपधारा 6.18 में यथापरिभाषित सरकारी अभिकरणों, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा अन्य हितधारकों को प्रेषित की जाएंगी।

(7) लेटर ऑफ कम्फर्ट में प्रदर्शित प्रोत्साहन राशि अस्थायी होगी और निवेशक द्वारा वास्तविक राशि का दावा किए जाने के समय इसकी पुष्टि की जाएगी।

(8) प्रोत्साहन लाभों (परिमाण/अवधि) की अवधि समाप्त होने या नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट स्वतः निरस्त माना जाएगा।

(9) यदि निवेशक द्वारा दी गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर कोई लाभ प्राप्त किया गया है, तो लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त माना जाएगा और निवेशक को दिए गए सभी लाभ भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे तथा निवेशक/संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की

जाएगी।

(10) निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने की तिथि से 6 महीने के भीतर निवेश प्रारंभ करना होगा, हालांकि असाधारण परिस्थितियों में, निवेशक के अनुरोध पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अतिरिक्त समय विस्तार पर विचार किया जा सकता है। अन्यथा स्थिति में उल्लिखित अवधि के बाद, नोडल संस्था को लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त करने का अधिकार होगा।

10- प्रोत्साहन संवितरण की प्रक्रिया (अनुलग्नक चित्र 2)

10.1 जिन निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया है, वे तदनुसार निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से नोडल संस्था को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक संख्या- 7) के अनुसार प्रोत्साहन संवितरण हेतु अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे, जिसमें विभिन्न मदों में स्वीकृतियों का स्पष्ट विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के अलावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सेक्रेटरी का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, समझौता, अनुबंध, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और आवेदन से संबंधित अन्य सहायक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भी नोडल संस्था को जमा करनी होगी।

10.2 वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु वार्षिक आधार पर आवेदन किया जा सकेगा। निवेशक को प्रोत्साहन देय होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

10.3 यदि इकाई अस्थायी रूप से बन्द हो जाती है और वाणिज्यिक संचालन 6 महीने से अधिक समय तक बंद रहता है, तो परिचालन बंद रहने की अवधि के दौरान प्रोत्साहन राशि के संवितरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

10.4 प्रोत्साहन राशि के संवितरण के मूल्यांकन हेतु नोडल संस्था द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट/मान्यता प्राप्त वैल्यूअर/विशेषज्ञ इंजीनियर/विशेषज्ञ संस्थानों का पैनल भी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन में सहायता के लिए आवश्यकतानुसार नोडल संस्था किसी अन्य विभाग के विशेषज्ञ प्रतिनिधि को भी आमंत्रित कर सकती है। वित्तीय प्रोत्साहन के दावे के संबंध में निवेशक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के आधार पर, भवन निर्माण और पूंजी निवेश की वास्तविक स्थिति, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण पर देय/भुगतान किए गए ब्याज की स्थिति से संबंधित अभिलेखों की जांच की जाएगी। नियुक्त संस्थान/विशेषज्ञ द्वारा उद्यम के स्थलीय भ्रमण/निरीक्षण, मशीनरी और संयंत्रों के भौतिक सत्यापन और आवश्यकतानुसार अभिलेखों के सत्यापन को प्रमाणित करते हुए नोडल संस्था को वैल्यूअर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

10.5 स्वीकृति/अस्वीकृति/संस्तुति की स्थिति में, विवरण लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। बैंक की मूल्यांकन रिपोर्ट और पैनल में शामिल संस्था/विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किसी भी स्पष्ट अंतर की स्थिति में, उसका उचित स्पष्टीकरण लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। किसी भी स्पष्ट अंतर की स्थिति में, निवेशक को उसका सम्यक स्पष्टीकरण देने की सलाह दी जाएगी। स्पष्टीकरण देने और यदि कोई अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना हो तो उसे प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

10.6 नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए निवेशक द्वारा प्रस्तुत दावे के मूल्यांकन और मूल्यांकन संस्था से दस्तावेजों को प्रमाणित करवाने एवं अपने स्तर पर संतुष्ट होने के पश्चात सक्षम स्तर के विचारार्थ प्रस्ताव की प्रस्तुति हेतु, नोडल संस्था द्वारा एक एजेण्डा नोट तैयार किया जाएगा।

10.7 नोडल संस्था के प्रबन्ध निदेशक द्वारा एजेंडा नोट को, जैसा भी मामला हो, अनुमोदन के लिए निम्नानुसार सक्षम स्तर के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा:-

क- रुपये 200 करोड़ अथवा उससे कम के निवेश से संबंधित मामलों को नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जिसके उपरांत, स्वीकृत राशि सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नोडल संस्था द्वारा जारी की जाएगी।

ख- रुपये 200 करोड़ से अधिक के निवेश से जुड़े प्रकरणों को सशक्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। सशक्त समिति की संस्तुति के पश्चात, इसे मा0 मंत्रि-परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और तद्विषयक, प्राप्त स्वीकृति के अनुसार, स्वीकृत राशि नोडल संस्था द्वारा अवमुक्त की जाएगी।

सशक्त समिति (ईसी) की संस्तुति के बाद रुपये 200 करोड़ से अधिक के निवेश से जुड़े प्रकरणों को प्रथम संवितरण हेतु ही मा0 मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात अनुवर्ती संवितरण, सशक्त समिति के अनुमोदन से ही किए जाएंगे।

10.8 किसी दावे की अनुशंसा/स्वीकृति/अस्वीकृति के औचित्य और कारणों को विस्तार से अंकित किया जाएगा।

10.9 डाटासेन्टर को देय प्रोत्साहन राशि की गणना/निर्धारण, नीति में निर्धारित पात्र घटकों (Eligible components) के आधार पर अथवा नीति कार्यान्वयन इकाई/ उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार की जाएगी।

10.10 निवेशक को सभी भुगतान सीधे उसके खाते में ई-पेमेंट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किए जाएंगे।

10.11 सभी अस्वीकृत आवेदनों की सूचना नोडल संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के 30 दिनों के भीतर निवेशक को लिखित रूप में दी जाएगी।

10.12 ऋण भुगतान में जानबूझकर व्यतिक्रम करने अथवा बैंक के परिसमापन की स्थिति में, उसके बाद ब्याज उपादान प्रदान नहीं किया जाएगा, और नोडल संस्था/राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।

11- निरस्तीकरण की प्रक्रिया

निवेशक द्वारा प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने के बाद यदि कभी यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी गलत है अथवा छूट/प्रतिपूर्ति गलत आंकड़ों/रिकॉर्डों के आधार पर तथ्यों को छिपाकर/ हेरफेर करके/गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है, तो भुगतान की गई राशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जाएगी और यदि राशि वापस नहीं की जाती है, तो इसे भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा, साथ ही आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्यवाई भी की जाएगी।

12- प्रशासनिक व्यय

रुपये 200 करोड़ या उस से कम निवेश वाले आवेदकों के मामले में , संवितरित राशि के 1 प्रतिशत के समतुल्य राशि की कटौती तथा रुपये 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले आवेदकों के मामले में, संवितरित राशि के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य राशि की कटौती नोडल संस्था, यूपीएलसी के प्रशासनिक व्ययों हेतु की जाएगी। उक्त राशि में नोडल संस्था द्वारा चयनित मूल्यांकनकर्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट/मान्यता प्राप्त मूल्यांककों/इंजीनियरों के माध्यम से निवेशक द्वारा किए गए पूंजी निवेश के सत्यापन में किया गया व्यय भी शामिल है।

13- विविध

13.1 इस नीति के अंतर्गत, आय-व्ययक प्रावधानों के लिए लेखा-मद वित्त विभाग द्वारा आवंटित किए जाएंगे। इस संदर्भ में, नियंत्रक एवं अनुमान प्राधिकरण (Controlling and Estimates Authority) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग होगा और संबंधित लेखा मदों के अंतर्गत बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और पूरक मांगें विभाग द्वारा प्रस्तुत की जायेंगी।

13.2 बजटीय प्रावधान से धनराशि अवमुक्त किए जाने की व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

13.3 नीति के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। नीति के कार्यान्वयन और निधियों के जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा की जाएगी।

13.4 किसी भी विवाद की स्थिति में, केवल लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित न्यायालयों में ही वाद संस्थित किया जा सकेगा।

13.5 वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण से संबंधित सभी व्यय , जिनमें आवश्यक विधिक अभिलेखों को निष्पादित करने में हुए व्यय, स्टाम्प शुल्क, अधिवक्ता की फीस, सॉलिसिटर की फीस और अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं , पात्र इकाई द्वारा देय होंगे।

13.6 जब तक कि नीति के तहत प्रोत्साहन के रूप में प्रतिपूर्ति योग्य न हो , किसी भी प्रमाणन की खरीद, रखरखाव, नवीनीकरण, उन्नयन, मूल्यांकन, लेखापरीक्षा, सत्यापन या प्रमाणीकरण से संबंधित सभी लागतें , शुल्क और व्यय आवेदक/ निवेशक द्वारा ही वहन किए जाएंगे।

14- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

Digitally signed by

ALOK KUMAR

Date: 08-10-2026 11:54:18

भवदीय,

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या- /2026/ 823(1)/78-2-2026 एवं तदिदनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

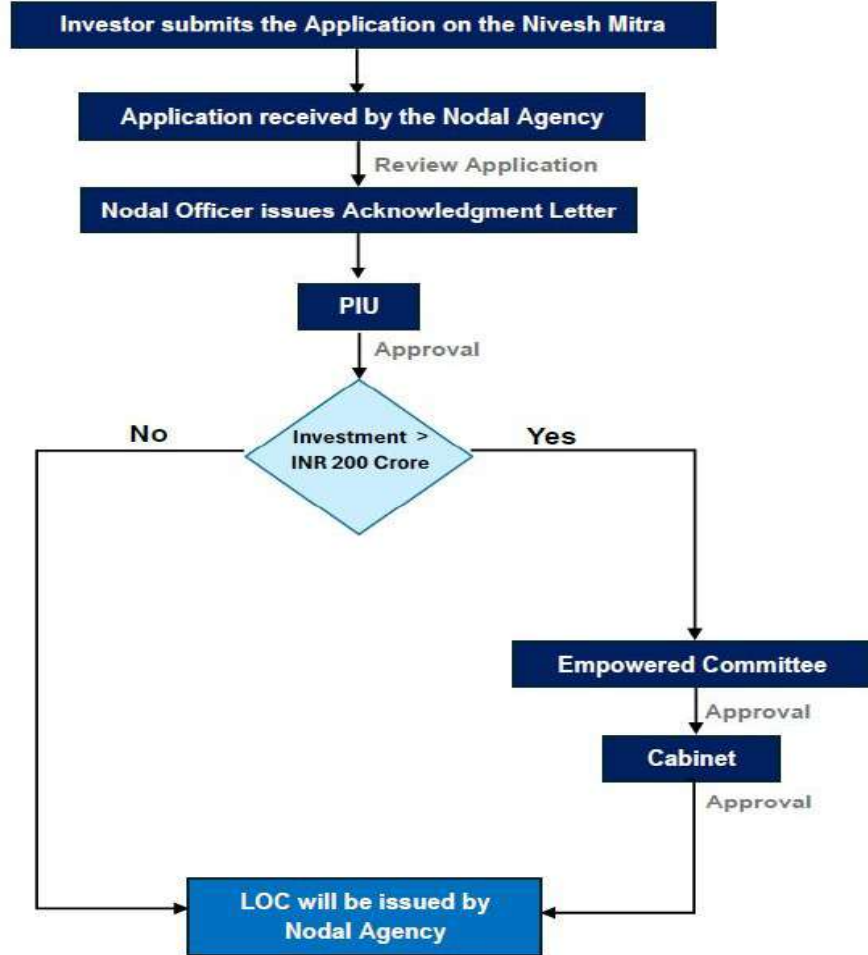
1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. कार्यकारी निदेशक,इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।

आज्ञा से,

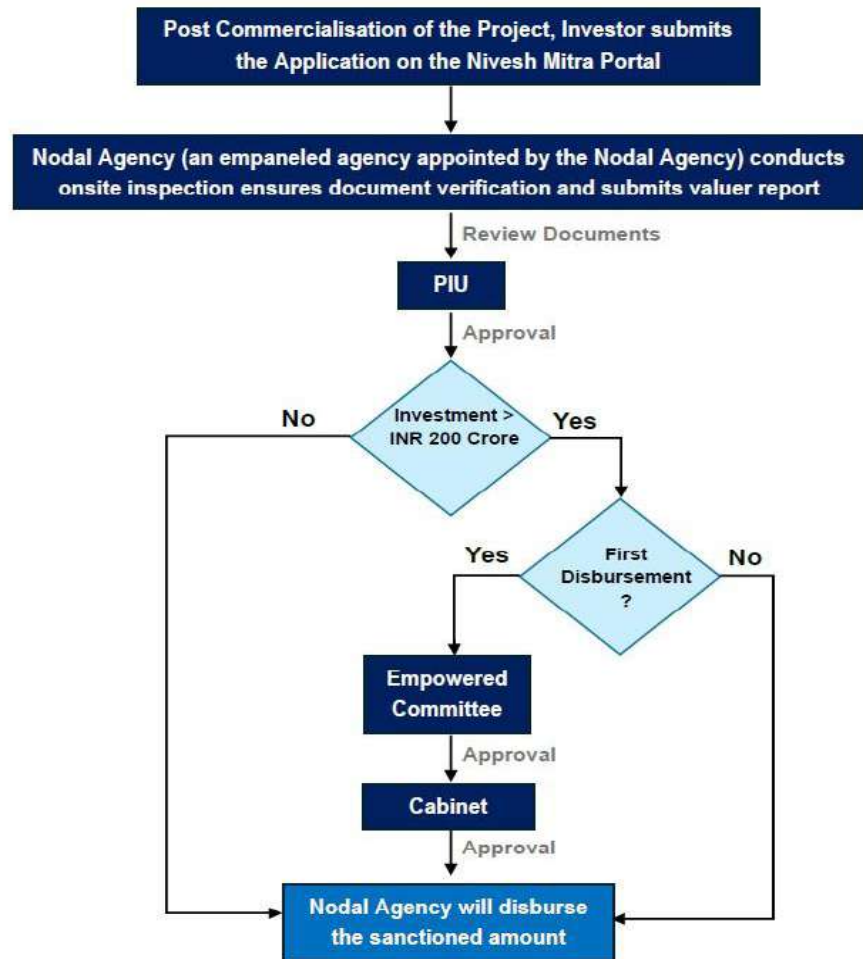
Digitally signed by
Abhishek Kumar
Date: 09-10-2026 13:52:03

(अभिषेक कुमार)
विशेष सचिव।

अनुलग्नक चित्र 1: निवेश प्रस्ताव की अनुमोदन प्रक्रिया



अनुलग्नक चित्र 2: प्रोत्साहन संवितरण की प्रक्रिया



संक्षेपाक्षर

IGBC : Indian Green Building Council

LEED : Leadership in Energy and Environmental Design

BREEAM : Building Research Establishment Environmental Assessment Method

BCA-IMDA : Building and Construction Authority – Infocomm Media Development Authority

NABERS : National Australian Built Environment Rating System

CEEDA : Certified Energy Efficient Datacenter Award

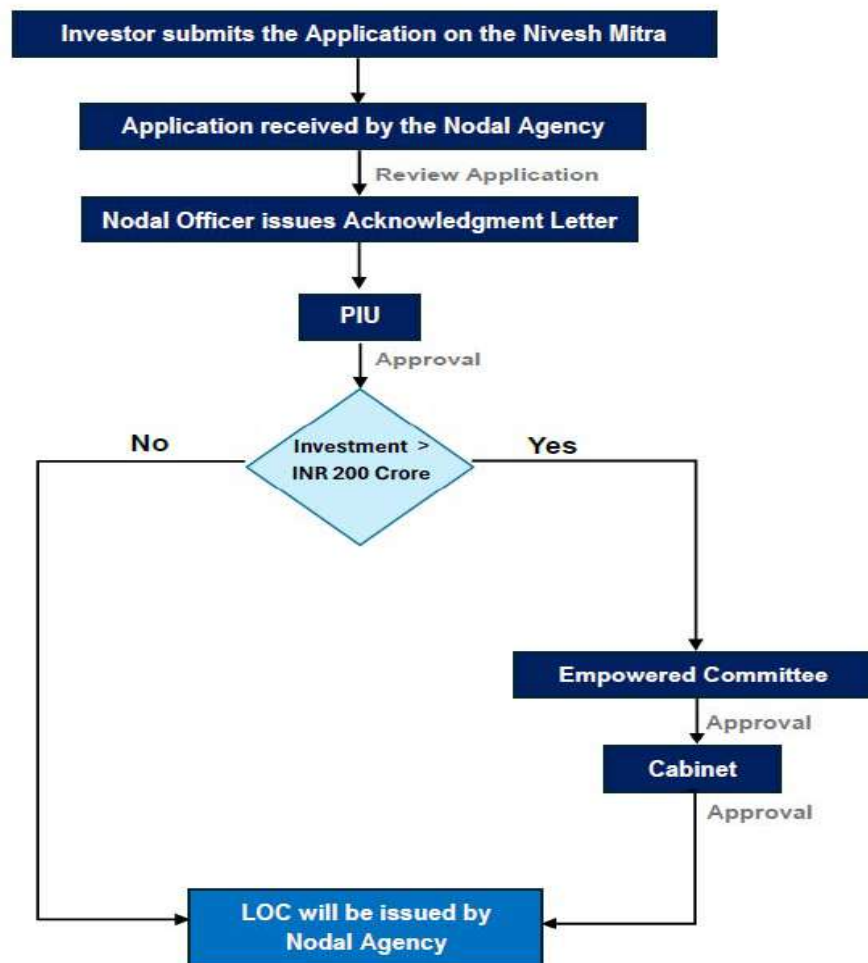
EDGE (by IFC): Excellence in Design for Greater Efficiencies

IFC: International Finance Corporation

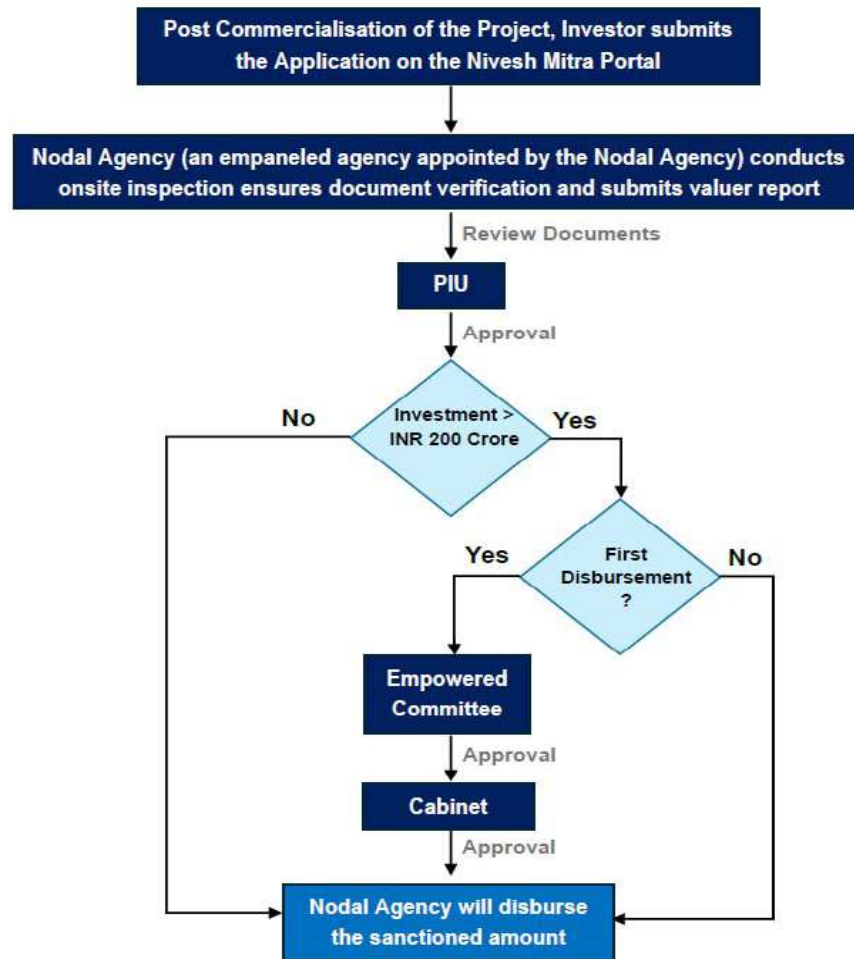
PUE : Power Usage Effectiveness

GRIHA: Green Rating for Integrated Habitat Assessment

अनुलग्नक चित्र 1: निवेश प्रस्ताव की अनुमोदन प्रक्रिया



अनुलग्नक चित्र 2: प्रोत्साहन संवितरण की प्रक्रिया



संक्षेपाक्षर

IGBC : Indian Green Building Council

LEED : Leadership in Energy and Environmental Design

BREEAM : Building Research Establishment Environmental Assessment Method

BCA-IMDA : Building and Construction Authority – Infocomm Media Development Authority

NABERS : National Australian Built Environment Rating System

CEEDA : Certified Energy Efficient Datacenter Award

EDGE (by IFC): Excellence in Design for Greater Efficiencies

IFC: International Finance Corporation

PUE : Power Usage Effectiveness

EDGE: Excellence in design for greater efficiencies

IFC: International Finance Corporation

GRIHA: Green Rating for Integrated Habitat Assessment

“उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति 2026” के अन्तर्गत डाटा सेन्टर पार्क/इकाई द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु दिये गये आवेदन-पत्र पर प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र

1- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का नाम

2- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का पता

.....

3- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कॉरपोरेशन/लिमिटेड कम्पनी/को-आपरेटिव सोसायटी/स्थानीय निकाय/राजकीय विभाग)

.....

4- पैन नम्बर

5- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का स्वामी/प्रवर्तक/साझेदारों/निदेशकों के नाम पता एवं सम्पर्क विवरण (निवास के प्रमाण सहित)

नाम

पता

आधार संख्या

दूरभाष संख्या

फैक्स संख्या

मोबाईल संख्या

ई-मेल

वेबसाइट

6- उद्यम पंजीकरण का विवरण — संख्या

दिनांक

(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें)

7- डाटा सेन्टर क्षमता (मेगावाट में)

.....

8- भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त करने का प्रयोजन

.....

9- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि

.....

10- केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था का नाम जहाँ से भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त की गयी है।

.....

11- वित्तीय संस्था का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया हो/जा रहा हो।

.....

12- वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि व दिनांक

.....

(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

13- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने योग्य ट्रॉजेक्शन संख्या एवं प्रतिशत

.....

14- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने वाली धनराशि

15- यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था/निजी स्रोत से भी भूमि क्रय/लीज पर प्राप्त किया गया है तो उसका सम्पूर्ण विवरण

(साक्ष्य के रूप में संस्था द्वारा जारी प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें)

.....

.....

16— स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु भूमि का विवरण

क्र.सं.	भूमि का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में एवं दर	भूमि का कुल मूल्य
1			
2			
3			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि डाटा सेन्टर पार्क/इकाई द्वारा दिये गये संलग्न अनुबन्ध में निर्धारित शर्तों का उल्लेख करते हुये विक्रय/पट्टा विलेख के निबन्धन हेतु वाणिज्यिक उत्पादन पॉलिसी की वैधता अवधि में करने का आश्वासन दिया गया है और उसमें विलम्ब की स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी में देय छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी को निबन्धन विभाग द्वारा भुनाकर धनराशि को निबन्धन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा कराये जाने की बाध्यता का भी उल्लेख किया गया है।

डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रु0 की छूट दिये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

स्थान :

“उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2026” के अन्तर्गत डाटा सेन्टर पार्क/इकाई द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट हेतु रखी गयी बैंक गारण्टी को अवमुक्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन/नोडल संस्था द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

1- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का नाम

2- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई का पता

.....

.....

3- प्राप्त किये गये भूमि के क्रय/लीज का प्रयोजन

.....

4- डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि

5- जमा किये गये बैंक गारण्टी का विवरण तिथि सहित

6- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी धनराशि का विवरण

7- स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि का विवरण

क्र.सं.	भूमि का विवरण (खसरा)	क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि का कुल क्षेत्रफल जो निहित उद्देश्य से आच्छादित है।
1			
2			
3			
	कुल योग		

प्रमाणित किया जाता है कि डाटा सेन्टर पार्क/इकाई द्वारा उपरोक्तानुसार वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक को प्रारंभ कर दिया गया है। उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की गयी भूमि का भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी को इकाई को वापस किये जाने की संस्तुति की जाती है।

डाटा सेन्टर पार्क/इकाई के सन्दर्भ में दी गयी सूचना अनुबन्ध व उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार है तथा समस्त अंकित विवरण सत्य हैं जिसके आधार पर स्टैम्प ड्यूटी में देय कुल रू0 की छूट हेतु जमा की गयी बैंक गारण्टी वापस किये जाने की अनुशंसा की जा रही है।

अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक: सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन/
नोडल संस्था

स्थान:

1. उप निबंधक, निबंधन
2. महा निरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Annexure – 3

Application Form for Tier/Rating III & IV Booster

(In case multiple facilities are covered under the application, use the same format to separately provide the details corresponding to each facility)

Part I: Nature of Application

- ☐ New Certification Issuance
- ☐ Certification Renewal
- ☐ Certification Upgrade

Part I : Certification Details

Particulars	Details
Certifying Agency	
Certification Standard (Tier/Rating)	
Certification Level Achieved	
Facility Covered by Certification	
Certification Reference Number	
Date of Issue/Renewal/Upgrade	
Validity Period	

Part II : Certification Expenditure Details

Particulars	Amount
Application Charges	
Issuance Charges	
Renewal / Upgrade Charges	
Total Eligible Expenditure	

Part III : Documents Enclosed

- ☐ Copy of valid Tier/Rating III or IV Certificate issued by an eligible certification agency
- ☐ Copy of Invoice relating to certification, renewal or upgrade for which reimbursement is claimed

Annexure – 4

Application Form for Availing AI Compute Booster Incentive

Part I : AI Compute Infrastructure Declaration

Details of AI Compute Units Installed

SI No.	OEM	Model	Type (GPU/TPU/Accelerator)	FP64 Capability Certified (Y/N)	Quantity Installed	Date of Installation	Installation Facility/Location

Part II : Summary

- i. Total Number of AI Compute Units Installed:
- ii. Total Number of FP64 Grade Units:
- iii. Total Cost of FP64 AI Compute Units:
- iv. Installation Location(s):

Part III : Subsidy Details

- i. Base Interest/Capital Subsidy Ceiling Approved/Claimed :
- ii. Additional Overall Ceiling Claimed under AI Compute Booster :

Part IV : Documents Enclosed

- ☐ Purchase Invoices
- ☐ Installation/Commissioning Certificate by OEM/Authorized Vendor
- ☐ CA/Statutory Auditor Certificate
- ☐ Undertaking by the Company regarding Continued Compliance & Verification
- ☐ Any other document (Example: AI Infrastructure Inventory Report, System Generated Configuration Report, etc.)

Illustration A : Required details from CA/Statutory Auditor Certificate

The Letter from CA/Statutory Auditor should Certify the following details:

- Number of FP64 AI Compute Units
- Operational Status
- Installation Location
- Traceability to Invoice Numbers
- Confirmation that equipment is new and not relocated/refurbished

Illustration B: Format for Continued Compliance and Verification by the Applicant

Undertaking by the Authorized Signatory:

- i. The qualifying AI Compute Units forming the basis of eligibility under the AI Compute Booster Incentive have been duly procured, installed, commissioned, powered and made operational within the approved Data Center Park/Data Center Unit/Edge Data Center.
- ii. The said AI Compute Units are new assets and are not second-hand, refurbished, leased, rented, relocated or transferred from any other facility.
- iii. The Applicant shall maintain the minimum qualifying threshold of AI Compute Units prescribed under the Uttar Pradesh Data Center Policy-2026 and shall not knowingly remove, transfer, relocate, dismantle or permanently decommission such infrastructure in a manner that results in loss of eligibility under the Policy.
- iv. In the event of any material reduction in the qualifying AI Compute Unit count below the prescribed threshold, or any other circumstance affecting eligibility under the Policy, the

Applicant shall intimate the Nodal Agency in writing within thirty (30) days of such occurrence.

- v. The Applicant shall maintain complete books of account, asset registers, invoices, commissioning records, technical inventories and all other supporting documents relating to the qualifying AI Compute Infrastructure and shall make the same available for verification whenever required.
- vi. The Applicant agrees that the Nodal Agency or any agency, auditor, valuer, technical expert or institution authorized by the Government may inspect the facility, verify physical assets, examine records and seek any additional information required for determination of eligibility and continued compliance under the Policy.
- vii. The Applicant further declares that all information, certificates, documents and representations submitted in support of this claim are true, complete and correct to the best of its knowledge and belief.
- viii. In case any information is found to be false, misleading, fabricated, concealed or materially incorrect, or if any benefit under the Policy is obtained through misrepresentation of facts, the Government shall be entitled to withdraw the benefits granted and recover the amount so released in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Data Center Policy-2026, Implementation Guidelines, applicable Government Orders and relevant laws.
- ix. The Applicant shall abide by all provisions of the Uttar Pradesh Data Center Policy-2026 and the Government Orders, guidelines and instructions issued thereunder from time to time.

Application Form for Green & Sustainable Booster Incentive

Part I: Nature of Application

- ☐ Initial Certification Claim
- ☐ New PUE Qualification
- ☐ New RE Qualification
- ☐ Upgradation of PUE Slab
- ☐ Upgradation of RE Slab

Part I : Green Certification Details

Particulars	Details
Certifying Agency	
Certification Name	
Certification Level	
Date of Issue	
Whether among Top 2 Levels (Yes/No)	

Part II : Power Usage Effective (PUE) Details

FY	IT Energy Consumption (kWh)	Total Facility Energy (kWh)	PUE (Column Value II ÷ Column Value I)

Average Annual PUE _____

Part III : Renewable Energy Utilization Details

FY	Total Energy Consumption (TE)	Renewable Energy Consumption (RE)	RE as % of TE

Average Annual RE utilization as percentage of TE _____

Part IV : Subsidy Details – Booster Benefit Computation

Component	Overall Capital/Interest Ceiling Increase Claimed
Certification	
PUE	
Renewable Energy Usage	
Total	

Part V : In Case of Upgrade in PUE and/or RE Slab

Component	Existing Approved Slab	Newly Achieved Slab	Date of Achievement of New Slab
PUE			
Renewable Energy Usage			

Part VI : Subsidy Details

- i. Base Interest/Capital Subsidy Ceiling Approved/Claimed:
- ii. Additional Overall Ceiling already approved (Specify the Components, Slab and approved increase in ceiling amount) – if any:

Component	Approved Slab	Approved Additional Ceiling

- iii. Additional Overall Ceiling being claimed under this application (above i + ii) :

Part VII : Documents Enclosed

- ☐ Copy of valid Green Data Center Certification issued by an eligible certification/rating agency.
- ☐ Certificate/Report by Certifying Agency/Independent Technical Auditor/Energy Auditor validating the achieved PUE.
- ☐ Certificate/Report by Certifying Agency/Independent Technical Auditor/Energy Auditor validating the achieved Renewable Energy consumption as % of Total Energy
- ☐ Supporting energy consumption and metering records used for computation of PUE and/or RE percentage for the relevant assessment period.
- ☐ Documentary evidence of Renewable Energy procurement/consumption, such as open access records, captive generation records, power purchase agreements, renewable energy certificates, or equivalent supporting records.
- ☐ Undertaking for Continued Compliance and Verification (as per Illustration A)

Illustration A: Format for Continued Compliance and Verification by the Applicant

Undertaking by the Authorized Signatory:

- i. The information, records, certificates and documents submitted in support of this application are true, complete and correct.
- ii. The Applicant continues to comply with the eligibility conditions forming the basis of the present claim under the Green & Sustainable Operations Booster Incentive.
- iii. In the event of:
 - a. suspension, withdrawal or downgrade of the Green Certification;
 - b. reduction in achieved PUE performance below the approved slab;
 - c. reduction in Renewable Energy utilization below the approved slab; or
 - d. any other material change affecting eligibility under the Policy,the Applicant shall promptly inform the Nodal Agency.
- iv. The Applicant agrees that the Nodal Agency or any agency, auditor, valuer, technical expert or institution authorized by the Government may inspect the facility, verify physical

assets, examine records and seek any additional information required for determination of eligibility and continued compliance under the Policy.

- v. In case any information furnished is found to be false, misleading or obtained through concealment of material facts, the Government shall be entitled to take action in accordance with the Uttar Pradesh Data Center Policy-2026, Implementation Guidelines and applicable laws.

कम्पनी के लेटर हेड पर

तिथि : / / 20....

अपर मुख्य सचिव
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय: उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2026 के अन्तर्गत परियोजना अनुमोदन हेतु आवेदन

महोदय,

यह डाटा सेन्टर पार्क/इकाई (क्षमता: मेगावाट) की स्थापना के प्रयोजन से
..... उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हमारे निवेश प्रस्ताव के सन्दर्भ में है।

हम एतद्वारा उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2026 के अन्तर्गत परियोजना के अनुमोदनार्थ अपना अनुरोध प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसमें दिनांक से तक रु करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

नीति के तहत हम पात्र प्रोत्साहनों के अनुमोदन और संवितरण के लिए शासकीय सहायता की प्रत्याशा करते हैं। परियोजना की प्रमुख विशेषतायें निम्नानुसार हैं:—

I. परियोजना का स्थान :

II. प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में)

III. निवेश रु करोड़ (कुल)

- प्रथम चरण — रु करोड़ — से तक
- द्वितीय चरण — रु करोड़ — से तक (यदि लागू हो)
- तृतीय चरण — रु करोड़ — से तक (यदि लागू हो)
(आवश्यकतानुसार, अन्य चरण जोड़ें)

IV. रोजगारे सृजन: कुल (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष.....)

V. भूमि आवश्यकता एकड़ (कुल)

- प्रथम चरण — एकड़
- द्वितीय चरण — एकड़ (यदि लागू हो)
- तृतीय चरण — एकड़ (यदि लागू हो)

VI. मांगे गये वित्तीय प्रोत्साहन : रु करोड़

VII. विद्युत आवश्यकता (आईटी लोड):

VIII. जल आवश्यकता :

IX. कोई अन्य आवश्यकता:

हम संक्षेप में निम्नवत् प्रदर्शित प्रोत्साहनों हेतु राज्य सरकार से सहायता का अनुरोध करते हैं:-

क्रम सं०	उपादान	प्रोत्साहन का विवरण	धनराशि (रु करोड़)
1	पूँजी उपादान		
2	स्टाम्प ड्यूटी		
3	ब्याज उपादान		
4	विद्युत शुल्क से छूट		
5	भूमि उपादान		
6	टियर /रेटिंग III तथा IV प्रोत्साहन बूस्टर		
7	ए.आई. कम्प्यूट बूस्टर प्रोत्साहन		
8	ग्रीन एवं सस्टेनेबुल परिचालन के लिए बूस्टर		
9	कोई अन्य उपादान		
योग			

हम पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त प्रदर्शित सूचना हमारी जानकारी के अनुसार सही है तथा किसी विचलन की स्थिति में हम उसे तत्काल सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संज्ञान में लायेंगे।

हम पुष्टि करते हैं कि हम उ०प्र० डाटा सेन्टर नीति-2026 के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेशों से बाध्य होंगे तथा उनका अनुपालन करेंगे।

हम समझते हैं कि उपरोक्त मांगे गये प्रोत्साहन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं और इसके सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

धन्यवाद,

.....
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :.....
कम्पनी की मुहर

संलग्नक: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित आरम्भिक निवेश प्रस्ताव

On Company's Letter Head

Date: .../.../ 20.....

Additional Chief Secretary
IT & Electronics Department
Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow

Subject: Application for project approval under UP Data Center Policy 2026

Dear Sir,

This is in reference to our investment proposed at Uttar Pradesh for the purpose of setting up of Data Center Park/Unit of (Capacity in MW.....).

We would like to submit herein our request for approval under Uttar Pradesh Data Center Policy 2026 for investment value worth INR Crore to be invested from....DDMMYYY to DDMMYYY.....

We are looking forward to government support for approval and disbursement of eligible incentives under the policy. The highlights of the project are as follows:

X. **Location of the project:**

XI. **Proposed capacity (in MW)**

XII. **Investment:** INR ... Cr (Total)

- **Phase 1** – INR ...Cr, **Year** – From..... to.....
- **Phase 2** – INR Cr, **Year** – From..... to (If applicable)
- **Phase 3** – INR Cr, **Year** – From..... to (If applicable)

(Add more phases, if required)

XIII. **Employment Generation: Total -, (Direct Indirect.....)**

XIV. **Land requirement:** Acres (Total)

- **Phase 1** Acres
- **Phase 2** Acres (If applicable)
- **Phase 3** Acres(If applicable)

XV. **Fiscal Incentives Sought: INR Cr.....**

XVI. **Power Requirement (IT Load) :**

XVII. **Water Requirements:**

XVIII. **Any other Requirements**

We request the state Govt. support for the following incentives summarized below:

S.No.	Subsidy	Details of Incentive	INR (Crores)
1.	Capital Subsidy		
2.	Stamp duty		
3.	Interest Subsidy		
4.	Electricity Duty Exemption		
5.	Land Rebate		
6.	Tier/Rating III and IV Booster		
7.	AI Compute Booster Incentive		
8.	Booster Incentive for Green & Sustainable Operations		
9.	Any other subsidy		
Total			

We confirm that the above information furnished is correct to the best of our knowledge and in case of any deviation we'll bring it to the notice of the IT & Electronics Department, GoUP immediately.

We confirm that we shall be binding with the Government Orders released under the UP-Data Centre Policy 2026 from time to time and shall abide by it.

We understand that the above incentives sought are subject to the approval of the State Government and decisions in this regard shall be final and binding.

Thanking you,

.....
Authorized Signatory Name:
Company Seal:

Enclosed: Initial Investment Proposal Form alongwith Detailed Project Report

निवेश प्रस्ताव प्रपत्र

(संलग्नक-6 का अनुलग्नक)

क्रम सं०	विवरण	वांछित विवरण																				
कम्पनी प्रोफाइल																						
1.	कम्पनी का नाम																					
2.	मूल देश																					
3.	कम्पनी की संक्षिप्त प्रोफाइल																					
4.	निगमन की तिथि																					
5.	अंशधारिता का स्वरूप																					
6.	निदेशकों के नाम																					
7.	कार्यकारी प्रबन्धन का विवरण																					
8.	भारत में डाटा सेन्टर पार्क्स/इकाइयों																					
9.	उत्तर प्रदेश में डाटा सेन्टर पार्क्स/इकाइयों, यदि हों																					
10.	तकनीकी साझेदार																					
वित्तीय स्थिति																						
11.	पिछले पाँच वर्षों में टर्नओवर																					
12.	पिछले पाँच वर्षों में शुद्ध लाभ																					
परियोजना विवरण																						
13.	परियोजना के बारे में संक्षिप्त विवरण																					
14.	परियोजना की क्षमता (मेगावाट में)																					
15.	निवेश मूल्य (रु करोड़)																					
16.	परियोजना का स्थान एवं पता																					
17.	वित्तपोषण के माध्यम	<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रकार</th><th>धनराशि (रु करोड़)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रवर्तकों/साझेदारों/अंशधारकों से</td><td></td></tr> <tr> <td>ईक्विटी</td><td></td></tr> <tr> <td>सावधि ऋण</td><td></td></tr> <tr> <td>किराया कय</td><td></td></tr> <tr> <td>लीजिंग</td><td></td></tr> <tr> <td>सार्वजनिक निर्गम</td><td></td></tr> <tr> <td>प्रेफरेंशियल निर्गम</td><td></td></tr> <tr> <td>अन्य</td><td></td></tr> <tr> <td>कुल</td><td></td></tr> </tbody> </table>	प्रकार	धनराशि (रु करोड़)	प्रवर्तकों/साझेदारों/अंशधारकों से		ईक्विटी		सावधि ऋण		किराया कय		लीजिंग		सार्वजनिक निर्गम		प्रेफरेंशियल निर्गम		अन्य		कुल	
प्रकार	धनराशि (रु करोड़)																					
प्रवर्तकों/साझेदारों/अंशधारकों से																						
ईक्विटी																						
सावधि ऋण																						
किराया कय																						
लीजिंग																						
सार्वजनिक निर्गम																						
प्रेफरेंशियल निर्गम																						
अन्य																						
कुल																						
18.	सम्भावित रोजगार सृजन	<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रकार</th><th>पुरुष</th><th>महिला</th><th>कुल</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रत्यक्ष</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>अप्रत्यक्ष</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>कुल</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	प्रकार	पुरुष	महिला	कुल	प्रत्यक्ष				अप्रत्यक्ष				कुल							
प्रकार	पुरुष	महिला	कुल																			
प्रत्यक्ष																						
अप्रत्यक्ष																						
कुल																						
19.	परियोजना कितने चरणों में प्रस्तावित है (कृपया निवेश धनराशि का चरण-वार विवरण, रु करोड़ में प्रदान करें)																					
20.	परिचालन प्रारम्भ की अनुमानित तिथि																					
21.	अनुमानित टर्नओवर (प्रथम 10 वर्षों में)																					

उत्तर प्रदेश सरकार से माँग		
22.	उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2026 के अन्तर्गत माँगें गये वित्तीय प्रोत्साहन	
23.	उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति 2026 के अन्तर्गत माँगें गये गैर वित्तीय प्रोत्साहन	
24.	कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता (जल, विद्युत – क्रिटिकल आईटी और गैर आईटी आदि)	
25.	वाँछित भूमि (यदि हों, कृपया क्षेत्रफल, प्राधिकरण और लागत सहित भूमि का विवरण प्रदान करें) – चरणवार	
26.	कोई अन्य अपेक्षित सहायता	
वाँछित सहायक दस्तावेज		
27.	(क) उद्यम के मेमोरेण्डम की प्रति (भाग 1 व 2) (ख) यदि साझेदारी उद्यम है तो साझेदारी विलेख की प्रति, यदि लिमिटेड कम्पनी है तो मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति – प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित (ग) यदि उद्यम अपनी भूमि पर कार्यरत है तो भूमि की क़य विलेख – आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित (घ) यदि उद्यम किराये की भूमि/भवन में कार्यरत है तो वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए निष्पादित लीज अनुबन्ध की प्रति (च) बैंक/संस्थागत वित्त पोषित उद्यम की दशा में बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र की प्रति अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित) • निगमन प्रमाण-पत्र • कम्पनी के वित्तीय अभिलेख (ऑडिट रिपोर्ट, बैलेन्स शीट इत्यादि,) (यदि लागू हों तो) • भारतीय रिजर्व बैंक से एफ.डी.आई. पावती की प्रति (यदि लागू हों तो) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	

प्राधिकृत निदेशक के हस्ताक्षर

नाम :

कॉन्टैक्ट नॉ0

ई-मेल:

कम्पनी का पता

INVESTMENT PROPOSAL FORM

(Enclosure of संलग्नक-6)

S. No.	Particulars	Details Required			
Company Profile					
1.	Company Name				
2.	Origin Country				
3.	Brief profile of the company				
4.	Date of Incorporation				
5.	Shareholding pattern				
6.	Name of Directors				
7.	Details of Executive Management				
8.	Number of DC Parks/Units in India, if any				
9.	Details of DC Parks/ units in Uttar Pradesh, if any				
10.	Technology Partner				
Financial Status					
11.	Turnover for last 5 years				
12.	Net Profit for last 5 years				
Project Brief					
13.	Brief about Project				
14.	Project Capacity (in MW)				
15.	Investment Value (INR Crore)				
16.	Project Location & Address				
17.	Means of Financing	Type	Amount (in INR)		
		Equity from Promoters/Partners/ Shareholders			
		Term loan			
		Hire purchase			
		Leasing			
		Public issue			
		Preferential issue			
		Others			
		Total			
18.	Employment Likely to be Created	Type	Men	Women	Total
		Direct			
		Indirect			
		Total			
19.	Number of phases (please provide phase wise breakup of investment value in INR Crores)				
20.	Estimated Operation Start Date				
21.	Expected Turnover (for First 10 Years)				
Demand from government of UP					

22.	Financial incentives sought under Data Center Policy 2026	
23.	Non-financial incentives sought under Data Center Policy 2026	
24.	Core infra requirement (Water, power - critical IT and non-IT load etc.)	
25.	Land Required (If Yes, please provide land details including area, authority, and cost) - Phasewise	
26.	Any other assistance required	
Supporting Documents Required		
27.	(a) Copy of Entrepreneur Memorandum (Part 1 and II). (b) Copy of Partnership Deed, If Partnership Concern; in case Limited Company copy of Memorandum and Articles of Association duly signed and duly stamped by the Managing Director. (c) If the Enterprise is functioning in its own land, copy of land purchase deed duly signed by the applicant. (d) If the Enterprise is functioning in a leased land/ building, copy of lease agreement deed executed for a minimum period of 10 years from the date of commencement of commercial operation. (e) Copy of Loan Sanction letter from the Bank / Financial Institution in respect Bank / Institutional financed Enterprises. (f) Copy of sanction order from UPPCL for power supply with copy of Meter card. (g) Certificate of Chartered Accountant for fixed assets created as on date of commencement of commercial operation in the prescribed format. (h) Certificate of commencement of commercial operation duly signed by Chartered Accountant. Additional Documents Required (Attested by Authorized Signatory): ▪ Certificate of Incorporation ▪ Financials of the company for last 3 financial years (Audit report, balance sheet etc.) (if applicable) ▪ FDI Acknowledgment from RBI (If applicable)	

	▪ Detailed Project Report (duly certified and signed by Chartered Accountant) ▪ Copy of valid Tier/Rating III or IV Certificate issued by an eligible certification agency	
--	--	--

Signature of Authorized Director

Name :

Contact No. :

Email Id :

Company Address:

DETAILED PROJECT REPORT

(Ref: SI No 27 of Initial Investment Proposal Form)

<<Date>>

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Table of Contents

Page Nos

General Instructions

1. Background and Project Rationale
2. Investment Outlay
 - 2.1 Cost of Project and Means of Financing
 - 2.2 Bill of Materials/Capex Details including MEP
3. Project Execution Strategy
4. Technology/ Technology Partner details
5. Project Financials
6. Implementation Details
7. Risk Impact Analysis
8. Business Case
9. Infrastructure Details

General Instructions

1. A power of attorney from the Board of Directors in favour of the signing authority (who signs all documents related to the demonstration of commitment, including this DPR) shall be furnished.
2. All financials presented in this DPR should be quoted in INR.
3. All pages of the DPR should be signed and stamped by the authorized signatory.
4. The Nodal Agency reserves all rights to check the veracity of the supporting documents. This includes the right to call for original documents at any point in the appraisal process.
5. The Nodal Agency also reserves the right to ask for clarifications and/or additional documents/information providing of which within the specified timelines would be binding on the applicants.
6. All data points used in the DPR should be supported by reliable sources (cited in footnotes on same page) and copies of the relevant source page be appended to the document.
7. All assumptions used in the documents should be supported by detailed justification and source of data as applicable.

1. Background and Project Rationale

Suggested Length: 5000 words

- 1) Provide details of the project, including:
 - (a) High level capital outlay
 - (b) Market segment proposed to be addressed
- 2) Write up on how the proposed project will enhance the Data Centre ecosystem in U.P. and the IT sector at large.
- 3) Stake holder Analysis (including partners, investors, GoUP, customers, suppliers and affected population).

2. Investment Outlay

Suggested Length: 3000 words

2.1 Cost of Project and Means of Financing

- 1) Capital Outlay, Proposed Means of Financing and Capital Phasing
- 2) Assumptions for Financial Modelling (with summary justification and basis)
- 3) Details of equity ready injected in the project (Supporting document to be provided in the form of auditor's certificate and/or RoC filing) including breakup by source
- 4) Details of Debt structure proposed (Supporting documents in the form of In-principle approval letters from lenders) including breakup by source

2.2 Bill of Materials/ Capex Details including Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP)

Details of Capex should be provided (with justification) under Plant, machinery and equipment including MEP details.
For the purposes of BoM/ Capex details, equipment/item wise costing should be provided.

3. Project Execution Strategy

Suggested Length: 4000 words

- 1) Institutional Framework (including details of vendors/ contractors/ partners identified for major activities) for project design, development and construction
- 2) Infrastructure details and strategy for securing/ implementing the same:
 - a) Land
 - b) Power
 - c) Water
 - d) Sewage disposal
 - e) Effluent Treatment Plant
- 3) Procurement and contracting strategy and framework
- 4) Project management framework and philosophy
- 5) Cost & Time overrun contingency measures and strategy

4. Technology/ Technology Partner Details

Suggested Length: 5000 words

- 1) Details of IP Ownership: List of Intellectual Property proposed to be transferred to the project (from each technology partner) and documentary evidence of current ownership of the same.
- 2) Details of Technology Provider/s (SPV/Joint Venture/Collaboration/any other arrangement along with MoU and other supporting documents)
- 3) IP Status of Technology Being Proposed
- 4) Valuation of Technology and IP (Along with Valuation Reports)
- 5) Technology Transfer Agreement (Final, non-conditional agreement, including performance guarantee clauses as deemed appropriate)
 - a) IP transfer
 - b) Knowledge Transfer mechanism (detailed note)
 - c) Capacity development mechanism
 - d) Details of process and product technology proposed (with detailed notes on each)
- 6) Sources of Product Design proposed
- 7) R&D Plan and Details (with note on IP proposed to be generated)
- 8) Detailed Technology Transfer Plan (Supported by technology transfer agreement as above), including personnel exchange/deputation, facilities and equipment sharing etc.

Technological Details should be supported by documents where necessary (Example: Documentary evidence of IP ownership, Technology Transfer Completeness, documentary evidence of similar transactions in the past etc.). A provision to assess the technology providers' facilities via site visits may also be incorporated.

5. Project Financials

Suggested Length: 4000 words

- 1) Financial Structuring
 - a) Debt Equity Ratio (including details of various sources of equity, sources of debt and other funds and sequencing of the same)

- b) Incentives proposed to be availed/requested
- c) Loan schedule and DSCR analysis
- 2) Loan Ageing
- 3) Financial Indicators (NPV, EIRR, PIRR, DSCR, PAT, PBT, Breakeven period by Cash and EBITDA)
- 4) Financial Structuring
- 5) Major Investments and Fund Raisings Planned (With supporting documents for funds required to be shown for demonstration of commitment)
- 6) Project Cash flow analysis
- 7) Taxation schedule (in line with applicable laws and standards)

The applicants are required to include a soft copy (editable excel file) of the financial model along with the DPR and an undertaking that the same is correct and in line with accounting standards, company law and taxation laws in

6. Implementation Details

Suggested Length: 3000 words

- 1) Project Phasing (Quarterly activity plan supported by detailed Gantt Charts) including major milestones
- 2) Project O&M Planning (including growth capex plans and assumptions)
- 3) Key Activities by quarter
- 4) Organization Structure proposed (with details of management team and role of partners) upto three levels (starting with CEO). Also append the profiles of the personnel proposed as well as the roles and responsibilities of each.
- 5) Procurement Details (including phasing, timing and sequencing, apart from overall procurement strategy)
- 6) Services and Service Levels proposed with implementation partners and contractors/vendors
- 7) Outsourcing and Contractor details and scope of work envisaged
- 8) Details of permissions, clearances and fulfilment of other statutory requirements for the projects, accompanied by a detailed note on plans for fulfilment of each

7. Risk Impact Analysis

Suggested Length: 2000 words

- 1) Project Financial Viability and Going Concern viability analysis and details
- 2) Business Sustainability Plan
- 3) Risk Analysis (financial and business), along with financial impact estimation for top 10 risk factors (upside and downside)
- 4) Risk Mitigation Plan including costs associated with the individual plans
- 5) Detailed estimation of risk due to cost or time overruns and mitigation plans for the same
- 6) Technology obsolescence risk assessment and mitigation plan

8. Business Case

Suggested Length: 3000 words

- 1) Operational Plan (with justification)
- 2) Marketing Plan (Tie ups and Strategies)
- 3) Service Strategy (technology and demand analysis)
- 4) Market Feasibility Analysis (especially Strategic Sectors), including marketing mix proposed (split by domestic and export) and assessment of India market (government and private procurement)
- 5) Analysis with respect to strategic sector requirement
- 6) Project Benefits Assessment:
 - a) Social Benefits (Appropriate Calculations including employment direct and indirect, GDP Multiplier etc.)
 - b) Cost Benefit Assessment

9. Infrastructure Details

Suggested Length: 2000 words

- 1) Analysis including availability, requirement, gap analysis and mitigation plan for the following:
 - a) Water Supply
 - b) Power Supply
 - c) Sewerage
 - d) Solid Waste Management
 - e) Effluent Treatment Plant
 - f) Fire Safety Management, specially precautions against leakage of noxious gases
 - g) Drainage systems
 - h) Roads/Urban Transportation
 - i) Social Infrastructure
 - j) Logistics (Warehouse etc.)

10. Policy Compliance & Incentive Eligibility Matrix

Incentive	Eligibility Condition	Project Compliance	Supporting Document
Land Subsidy	Location criteria	Yes/No	Land documents
Capital Subsidy	EFCI qualification	Yes/No	CA certificate
AI Incentive	AI Compute Units	Yes/No	OEM certificate
Green Incentive	PUE / Certification	Yes/No	Audit report
Tier Incentive	Tier III / IV	Yes/No	Certification
RE Incentive	Renewable sourcing	Yes/No	documents

उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2026 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण-पत्र
(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषय: उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2026 के अन्तर्गत प्रोत्साहन संवितरण की माँग

महोदय,

उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2026 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्वारा अपना आवेदन-पत्र **अनुलग्नक-क (पूँजी उपादान हेतु) / अनुलग्नक-ख (ब्याज उपादान हेतु)** एवं अन्य संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2026 में वर्णित प्रोत्साहन संवितरण किये जाने की माँग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे संलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन-पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपर्युक्त सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सही हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की माँग न तो की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपका विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

**Covering Letter for demand of incentives as per UP Data Centre Policy-2026
(On Company's Letter Head)**

To,
Additional Chief Secretary
IT & Electronics Department
Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow

Subject:- Demand of Disbursement of incentives as per UP Data Centre Policy-2026

Sir,

We undersigned, hereby submit our application for disbursement of **Capital Subsidy (अनुलग्नक-क)** and **Interest Subsidy (अनुलग्नक-ख)** & others as per provisions of UP Data Centre Policy-2026 and as per their Government orders.

We confirm that all the information provided in the application form alongwith the annexures, financial documents, declaration, certification, exhibits or any other information provided are correct, true and complete in all respect. To confirm to the department that the provided informations do not create any confusion in any manner, accordingly we have included all the informations in the said application.

We hereby confirm that the above information alongwith annexures provided are correct and true to the best of our knowledge. We are also committed that the applicant have neither demanded any subsidy nor received any fund in any other scheme/policy of the State Government. We once again committed to certify all the submitted details alongwith their documentary proof as per their requirement.

We hereby agree that you have full right to cancel our application without assigning any reason thereof.

We hereby confirm that we, on behalf of our Corporation/Company/Firm/ Organization, are authorized to perform all the activities and to sign all the documents, which are necessary to sign in this regard.

Place:
Date:

Owner/Partner/MD/Director
Signature and Stamp

पूँजी उपादान के संवितरण हेतु आवेदन-पत्र

(क)	इकाई का विवरण				
a.)	नाम				
b.)	प्रबन्ध निदेशक/ प्रबन्धन साझीदार/ स्वामी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम				
c.)	इकाई का पता				
d.)	दूरभाष नं०				
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं०				
f.)	फैक्स नं०				
g.)	ई-मेल				
h.)	वेबसाइट				
i.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या				
j.)	जी.एस.टी. पंजीयन सं०				
k.)	परमानेंट एकाउण्ट सं० (PAN)				
l.)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली	☐	साझेदारी	☐
		प्राइवेट लिमिटेड	☐	सहकारी	☐
		सार्वजनिक	☐	समिति	☐
m.)	व्यवसाय/परिचालन आरम्भ की तिथि				
n.)	सृजित रोजगार				
	Direct ☐				
	Indirect ☐				
(ख)	स्थिर पूँजी निवेश				
	(1) प्लाण्ट एवं मशीनरी				
	(2) Mechanical Electrical Plumbing				
	(3) अन्य स्थिर परिसम्पत्तियाँ				
	योग				
	दावा की गई पूँजी उपादान धनराशि				
(ग)	आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज				
a.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-1 प्रारूप पर) सहित, प्रथम विक्रय बीजक (First Sales Invoice) की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
b.)	वर्ष के दौरान दाखिल वाणिज्य-कर विवरणी की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐

c.)	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
d.)	PAN CARD की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
e.)	विद्यमान क्षमता हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड/सांविधिक सम्परीक्षक का प्रमाण-पत्र	हाँ	☐	नहीं	☐
f.)	नीति घोषित किये जाने के पश्चात एवं आवेदन की तिथि तक प्लान्ट और मशीनरी की स्थापना पर जो निवेश किया गया है, उसका मदवार विवरण व उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण-पत्र	हाँ	☐	नहीं	☐
g.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित, आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2026 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/छूट का, अद्यतन विवरण	प्रोत्साहन/छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि	
h.)	आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुमोदन की स्थिति में उपादान की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी (बैंक का नाम, खाता नं. तथा आई.एफ. एस.सी. कोड)				
i.)	आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ-पत्र (मूल रूप में परिशिष्ट-3 प्रारूप पर)				

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

Application Form for disbursement of Capital Subsidy

(क)	Company Profile				
o.)	Name				
p.)	MD/Managing Partner/Owner/CEO's Name				
q.)	Address of Unit				
r.)	Phone No.				
s.)	Mobile No. of Concerned Person				
t.)	Fax No.				
u.)	E-mail				
v.)	Website				
w.)	Registration Certificate No.				
x.)	GST Registration No.				
y.)	Permanent Account No (PAN)				
z.)	Constitution of Organization	Ownership	☐	Partnership	☐
		Pvt. Ltd.	☐	Corporate	☐
		Public	☐	Society	☐
aa.)	Date of Commencement of Commercial Operations/ Business				
bb.)	Employment				
	Direct ☐				
	Indirect ☐				
(ख)	Fixed Capital Investment (FCI)				
	(1) Plant and Machinery				
	(2) Mechanical Electrical Plumbing				
	(3) Any other fixed Assests				
	Total				
	Amount of Capital Subsidy Claimed				
(ग)	Annexed Documents alongwith Application form				
j.)	Certificate issued by CA alongwith copy of first sales invoice (on परिशिष्ट-1 format)	Yes	☐	NO	☐
k.)	GST/State Tax deposited during the Year	Yes	☐	NO	☐
l.)	Copy of GST Registration Certificate	Yes	☐	NO	☐
m.)	Copy of PAN CARD	Yes	☐	NO	☐
n.)		Yes	☐	NO	☐

	Certificate issue by CA/Statutory Auditor to confirm existing capacity				
o.)	After announcement of the policy till the submission of application, head-wise details of the investment on installation of Plant and Machinery and their supporting documents/certificates.	Yes		NO	
p.)	Current details of disbursement/ reimbursement of the incentives as per UP Data Centre Policy-2026 policy duly certified by the Chartered Accountant	Nature of Incentives/ Concession	Date	Amount (Rs)	
q.)	Bank details of Applicant in which after the approval, subsidy amount will be transferred (Bank's Name, Account no. & IFSC Code)				
r.)	Affidavit of the Owner / Partner / Managing Director / Director of the applicant unit (in original on परिशिष्ट-3 format)				

Place:
Date:

Owner/Partner/MD/Director
Signature and Stamp

पूँजी उपादान की प्राप्ति हेतु
संयन्त्र एवं मशीनों पर निवेश के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेटर हेड पर)

संख्या:

दिनांक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतद्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री के
पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों के अनुसार, पूँजी
उपादान प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति के दिनांक को, भवन एवं भूमि को छोड़कर
कुल स्थिर पूँजी निवेश रु (रुपये) है।

सर्वश्री द्वारा किये गये स्थिर निवेश का विवरण
Appendix "A" पर तथा प्लान्ट और मशीनरी की सूची Appendix "B" पर संलग्न हैं।

स्थान
तिथि

हस्ताक्षर एवं मुहर

(Ref: अनुलग्नक-क Sl. No. ग (a))

Certificate issued by Chartered Accountant to get Capital Subsidy on the investment on Plant and Machinery
(On the Letter Head of Chartered Accountant)

No.:

Date:

(To whom-so-ever it may be concern)

This is certify that, as per account books/ documents presented in the registered office.....(address) of M/s(Name), the Capital Subsidy amount claimed as per submitted application dated, the Fixed Capital Investment (FCI) except land and building cost is Rs..... (in words).

The details of Fixed Capital Investment (FCI) of M/s is annexed at Appendix - 'A' and the list of Plant and Machinery at Appendix - 'B'.

Place:

Date:

Signature and Stamp

Appendix "A"
(सन्दर्भ: परिशिष्ट-1)

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ने अपनी नवीन परियोजना के लिए निम्नलिखित स्थिर पूँजी निवेश किया है और वाणिज्यिक उत्पादन दिनोंक को प्रारम्भ कर दिया है।

परिसम्पत्तियों की प्रकृति	नवीन इकाई
1 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग*	
2 संयंत्र एवं मशीनरी*	
3 अन्य	
योग	

* इस प्रमाण-पत्र के Appendix "B" के अनुसार विवरण पृथक से संलग्न किया जाये।

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने उक्त इकाई के सम्बन्ध में निर्धारित रजिस्ट्रों, लेखा पुस्तकों तथा बैंक विवरणों की जाँच कर ली है।

मैं/हम पूरी तरह से समझते हैं कि इस प्रमाण पत्र में किया गया कोई कथन यदि गलत अथवा असत्य सिद्ध होता है, तो मैं/हम किसी भी दण्डात्मक कार्यवाही या अन्य परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसाकि विधि-सम्मत अथवा अन्यथा आवश्यक हो।

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर
नाम.
सदस्यता संख्या
पूरा पता.....
जहाँ पर पंजीकृत है, उस संस्था का नाम एवं पता
.....

तिथि:
स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर

Appendix "A"

(सन्दर्भ: परिशिष्ट-1)

CHARTERED ACCOUNTANT CERTIFICATE

This to certify that M/s. have made the following fixed capital investment for their new Project and the commercial production has been commenced on (date)

Nature of Assets	New Unit
1. Mechanical, Electrical, Plumbing (MEP)*	
2. Plant & Machinery*	
3. Others	
Total	

* Details to be enclosed separately as per **Appendix "B"** to this certificate.

I/We hereby confirm that I/We have examined the prescribed registers, books of account and the bank statement in respect of the above unit.

I/We fully understand that any submission made in this certificate if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in the law or otherwise warranted.

Signature & Stamp/seal of the Signatory_____

Name_____

MembershipNo._____

Full address_____

Name and address of the Institution
where registered.

Date:

Place:

Signature of Applicant

Signature of Chartered Accountant

Appendix "B"

(सन्दर्भ: परिशिष्ट-1)

व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि के अनुसार इन्स्टालेशन विवरण सहित
संयंत्र और मशीनरी की सूची

क्र.सं.	मशीनरी का नाम और मशीन का क्रमांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	बिल संख्या एवं तिथि	कर सहित, कुल लागत	परिवहन, निर्माण इत्यादि (5 व 6)	निर्मित की गई मशीनरी की कुल लागत	भुगतान का माध्यम मुहर सहित रसीद संख्या एवं तिथि	मशीनरी के निर्माण कार्यारम्भ की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आवेदक के हस्ताक्षर

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर

Appendix "B"

(सन्दर्भ: परिशिष्ट-1)

**LIST OF PLANT AND MACHINERY INCLUDING INSTALLATIONS
DETAILS AS ON THE DATE OF COMMENCEMENT OF COMMERCIAL
PRODUCTION**

Sl. No	Name of the machinery and machine No.	supplier' s name	Bill No. & Date	Total cost inclusive of tax	Transport erection etc. (5 & 6)	Total cost of machinery as erected	mode of payment stamped receipt No. & etc.	Date of erection commission of the machinery
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of Applicant

Signature of Chartered Accountant

ब्याज उपादान के संवितरण हेतु आवेदन-पत्र

(क)	डाटा सेन्टर पार्क का विवरण							
a.)	नाम							
b.)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझेदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम							
c.)	इकाई का पता							
d.)	दूरभाष नं०							
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं०							
f.)	फैक्स नं०							
g.)	ई-मेल							
h.)	वेबसाइट							
i.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या							
j.)	जी.एस.टी. पंजीयन सं०							
k.)	परमानेंट एकाउण्ट सं० (PAN)							
l.)	संगठन का संविधान		स्वामित्व वाली	☐	साझेदारी	☐		
			प्राइवेट लिमिटेड	☐	सहकारी	☐		
			सार्वजनिक	☐	समिति	☐		
m.)	व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि							
(ख)	इकाई द्वारा प्राप्त किये गये ऋण का विवरण							
a.)	बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम, पता व दूरभाष सं. ई-मेल							
b.)	ऋण की धनराशि							
c.)	ऋण वितरण की तिथि							
d.)	ऋण की प्रकृति		सावधि ऋण	☐	कार्यशील पूँजी ऋण	☐		
e.)	ब्याज की प्रकृति		स्थिर (Fixed)	☐	अस्थिर (Floating)	☐		
f.)	ऋण पर देय ब्याज, एवं पूर्व वर्षों में प्राप्त ब्याज उपादान का विवरण							
	वर्ष	वित्तीय वर्ष	देय ब्याज (%)	कुल देय ब्याज धनराशि (रुपये)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में दावा की गई ब्याज उपादान की राशि (रुपये)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ब्याज उपादान की राशि (रुपये)		
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
(ग)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख							
a.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-2 प्रारूप पर) सहित, प्रथम विक्रय बीजक (First Sales Invoice) की प्रति		हाँ	☐	नहीं	☐		

b.)	वर्ष के दौरान दाखिल नवीनतम जी.एस.टी. विवरणी की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
c.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
d.)	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
e.)	PAN CARD की प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
f.)	वित्तीय सहायता हेतु बैंक/वित्तीय संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रमाणित प्रति	हाँ	☐	नहीं	☐
g.)	बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा कम्पनी/इकाई द्वारा देय एवं भुगतान की गई ब्याज धनराशि का विवरण व बैंक/वित्तीय संस्था से उसकी पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण-पत्र	हाँ	☐	नहीं	☐
h.)	आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2026 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये अन्य प्रोत्साहन/छूट का अद्यतन विवरण	प्रोत्साहन/छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि	
i.)	आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुमोदन की स्थिति में उपादान की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी (बैंक का नाम, खाता नं. तथा आई.एफ.एस.सी. कोड)				
j.)	आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ-पत्र (मूल रूप में परिशिष्ट-3 प्रारूप पर)				

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

Application Form for disbursement of Interest Subsidy

(क)	Details of Data Centre Park							
a.)	Name							
b.)	MD/Managing Partner/Owner/CEO's Name							
c.)	Address of Unit							
d.)	Phone No.							
e.)	Mobile No. of Concerned Person							
f.)	Fax No.							
g.)	E-mail							
h.)	Website							
i.)	Registration Certificate No.							
j.)	GST Registration No.							
k.)	Permanent Account No (PAN)							
l.)	Constitution of Organization		Ownership	☐	Partnership	☐		
			Pvt. Ltd.	☐	Corporate	☐		
			Public	☐	Society	☐		
m.)	Date of Commencement of Commercial Operations/ Business							
(ख)	Details of Loan availed by the unit							
a.)	Bank/ Financial Institution's Name & Mobile No. & E-mail							
b.)	Amount of Loan sanctioned (Rs)							
c.)	Date of receipt of Loan							
d.)	Nature of Loan		Term Loan	☐	Working Capital Loan	☐		
e.)	Nature of Interest		स्थिर (Fixed)	☐	अस्थिर (Floating)	☐		
f.)	Details of interest due on sanctioned Loan and amount received as interest subsidy in earlier years							
	Year	Financial Year	Applicable rate of Interest (%)	Total Interest Due amount (Rs)	Interest Subsidy claimed in FY Amount (Rs)	Interest Subsidy received in FY Amount (Rs)		
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
(ग)	Annexed Documents alongwith Application form							
a.)	Certificate issued by CA alongwith copy of first sale invoice (on परिशिष्ट-2 format).		Yes	☐	NO	☐		
b.)	Details of GST paid during Current Year.		Yes	☐	NO	☐		
c.)	Copy of Registration Certificate		Yes	☐	NO	☐		

d.)	Copy of GST Registration Certificate	Yes	☐	NO ☐
e.)	Copy of PAN CARD	Yes	☐	NO ☐
f.)	Certified copy of approved Project Report issued by Bank/Financial Institution at the time of sanctioning the loan.	Yes	☐	NO ☐
g.)	Details of approval of loan sanctioned and applicable interest rate and interest paid by the unit alongwith attestation by the concerned Bank/ Financial Institution	Yes	☐	NO ☐
h.)	Details of any other incentive/ Concession obtained as per UP Data Centre Policy-2026	Nature of Incentive/ Concession	Date	Amount (Rs)
i.)	Bank Details of the applicant/unit in which after approval, subsidy amount will be transferred (Bank's Name, Account no. & IFSC Code)			
j.)	Undertaking by the Owner / Partner / Managing Director / Director of the applicant unit (in original on परिशिष्ट-3 format)			

Place:

Date:

Owner/Partner/MD/Director
Signature and Stamp

बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा कम्पनी/इकाई द्वारा देय एवं भुगतान की गई ब्याज धनराशि का विवरण

(बैंक/वित्तीय संस्था के लेटरहेड पर)

संख्या:

दिनांक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतद्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री के पंजीकृत कार्यालय द्वारा (बैंक/वित्तीय संस्था का नाम) से सावधि ऋण / कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त किया गया है, जिससे सम्बन्धित प्रमुख विवरण निम्नवत् है:-

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1 | स्वीकृत ऋण की धनराशि | : रु |
| 2 | स्वीकृत ऋण के विरुद्ध प्रथम वितरित किश्त की धनराशि | : रु |
| 3 | प्रथम किश्त के वितरण की तिथि | : |
| 4 | ऋण की प्रकृति | : सावधि ऋण / कार्यशील पूँजी ऋण |
| 5 | ब्याज की प्रकृति | : स्थिर (Fixed) / अस्थिर (Floating) |
| 6 | देय ब्याज की दर | : प्रतिशत वार्षिक |
| 7 | वित्तीय वर्ष में ऋणी द्वारा कुल अदा की गई मूल धनराशि | : रु |
| 8 | वित्तीय वर्ष में ऋणी द्वारा ऋण पर कुल अदा की गई ब्याज की धनराशि | : रु |
| 9 | वित्तीय वर्ष में ऋणी द्वारा ऋण पर कुल अदा की गई धनराशि | : रु |

पुनः प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सर्वश्री को इस बैंक/संस्था द्वारा डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर एवं मुहर

Details of sanctioned Loan and applicable rate of interest, due interest and amount paid by the company/unit.

(on the letter head of Bank/ Financial Institution)

No:

Date :

(To whom-so-ever it may be concern)

This is to certify that M/s having its registered office..... has availed term loan/working capital loan from the Bank/ Financial institution's (Name)....., whose salient points are as follows:-

1. Sanctioned Load Amount : Rs
2. The Amount of first installment paid : Rs
against the sanctioned loan
3. Date of first installment paid :
4. Nature of the loan : Term loan/working capital loan
5. Nature of interest : Fixed/Floating
6. Applicable rate of interest : % Yearly
7. Total repayment of principal loan by the : Rs
loanee in financial year.
8. Total interest amount on loan paid by the : Rs
loanee during financial year.....
9. Total amount on loan paid by the loanee : Rs
during financial year.....

This is once again certified that M/s.....(Name) has not been declared defaulter by the Bank/Financial Institutions.

Place:

Date:

Signature and Stamp

सभी प्रकार के प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु वचन-पत्र

मैं(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री/श्रीमती/सुश्री ..
..... निवासी - एतद्वारा निम्नवत् वचन
देता/देती हूँ:-

- 1 यह कि अधोहस्ताक्षरी-प्रार्थी सर्वश्री (नाम) जिसका
पंजीकृत कार्यालय(पता) एवं इकाई
.....(पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक* है।
- 2 यह कि सर्वश्री द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर
प्रदेश डाटा सेक्टर नीति-2026 में विहित व्यवस्थानुसार, पूँजी उपादान/ब्याज अन्य
उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/
कम्पनी/प्रतिष्ठान* पूँजी उपादान/ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत
करते समय कार्यरत/ उत्पादनरत* थी तथा फर्म/ कम्पनी/ प्रतिष्ठान* निरन्तर
कार्यरत/उत्पादनरत* रही है।
- 4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/
वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत पूँजी उपादान/ब्याज
उपादान की प्रतिपूर्ति* प्राप्त नहीं की गई है।

अथवा

- 4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/
वित्तीय संस्थान* को पूँजी उपादान/ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति* के लिए दावा किया
गया था और रु (रुपये)(बैंक)
के चेक/ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पूँजी उपादान/ब्याज उपादान की
प्रतिपूर्ति* के रूप में प्राप्त किया गया है।
- 5 यह कि यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* को पूँजी उपादान/ब्याज उपादान
की प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है तो इस तथ्य की उद्घोषणा मैं आवेदक
फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय
संस्थान* इत्यादि द्वारा संचालित इसी प्रकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत
प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति का दावा करते समय करूँगा।
- 6 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से वचन
देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की
स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का
भुगतान लिखित माँग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने
में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15
प्रतिशत ब्याज सहित भू-राजस्व की भाँति कर ले।

स्थान
तिथि

प्रार्थी

(Ref: (संदर्भ: अनुलग्नक-क का क्रम सं० ग (i.) और/अथवा
अनुलग्नक-ख का क्रम सं० ग (j.))
)

Undertaking for disbursement of all type of incentives

I..... (Name), age years S/o Sri
R/o..... hereby submit the following undertaking.

1. The undersigned applicant is (name)..... Owner/Partner/MD/ Director of the unit....., whose address is and registered office address, is.....
2. I have submitted an application to claim the Capital/Interest Subsidy/other subsidy as per provisions of UP Data Centre Policy-2026.
3. This is to confirm that as per definition of Ministry of Commerce/ Govt. of India the applicant Firm/Company/Organization was functional/in-Production, while submitting the application to claim the Capital Subsidy/Interest Subsidy and Firm/Company/Organization is continuously functional/in-production.
4. This is to confirm that Firm/Company/Organization has not received any amount of Capital/Interest Subsidy/ in any scheme of Govt. of India/State Government/Financial Institutions etc*

OR

- 4 This is to confirm that Firm/Company/Organization has submitted its claim for reimbursement of Capital/Interest Subsidy to Government of India/State Government/Financial Institutions and an amount of Rs(in words) has been received vide Banker Cheque/Draft/RTGS (Details) towards reimbursement of Capital/Interest Subsidy.
- 5 This is to confirm that in case applicant Firm/Company/Organization received any amount towards Capital/Interest Subsidy, in that case on behalf of applicant Firm/Company/Organization, I will declare this fact during submission of any claim for reimbursement of any incentive/ grant/ subsidy to Government of India/ State Government/ Financial Institution.
- 6 The undersigned in person and on behalf of applicant Firm/Company/Organization give this undertaking that in case all the above declaration are found wrong, untruth or misleading, in that case the total amount received towards this will be paid within 07 days on demand in writing or in case not able to pay back, Govt. will have right to recovery of the said amount with 15% interest as in the case of recovery of land revenues.

Place
Date

(Applicant)